बजट 2019-2020

वित्त मंत्री

निर्मला सीतारामन

का

भाषण

5 जुलाई, 2019

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं, वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

भाग-क

2. हालिया चुनाव एक उज्ज्वल और स्थिर नए भारत के लिए आम जनता की बलवती आशा और आकांक्षा से परिपूर्ण था। इसी चुनाव के परिणामस्वरूप हम इस सम्माननीय सदन में आज पहुंचे हैं। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब भारत ने बड़ी संख्या में मत प्राप्त करके अपने लोकतंत्र का ऐसा जश्न मनाया हो। इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात 67.9 प्रतिशत रहा। प्रथम आम चुनाव से प्रत्येक वर्ग - युवाओं, बुजुर्गों, पहली बार मत देने वाले मतदाताओं, महिलाओं, मतदाताओं सब ने मिलकर अच्छा कार्य करने वाली सरकार के कार्य पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। अपने सुस्पष्ट और दृढ़ अधिदेश के माध्यम से उन्होंने "राष्ट्र को सर्वोपरि रखने'' की अभिपुष्टि कर दी है। भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए दो लक्ष्योंः अर्थात राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास को मान्यता प्रदान कर दी है।

3. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्रथम कार्यकाल एक काम करने वाली सरकार के रूप में माना गया। यह एक ऐसी सरकार रही जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की थी। 2014-19 के बीच, हमने एक कायाकल्प करने वाली केन्द्र-राज्य गतिशीलता सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, और राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदान की। हमने नीति आयोग, जो एक व्यापक आधार वाला विचार तंत्र है, द्वारा योजनाबद्ध और सहायता प्राप्त एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाए हैं। हमने अपने कार्यों से यह जाहिर कर दिया है कि "सुधार, निष्पादन, कायाकल्प'' के सिद्धांत से सफलता प्राप्त की जा सकती है।

4. बहुत से कार्यक्रमों और पहलों में हमने आशातीत स्तर पर कार्य किया है। पिछले पांच वर्षों की तुलना में 2014-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया। 2014 में जारी किए गए पेटंटों की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी अधिक पेटंट जारी किए गए और हमारे देश के हर कोने में रहने वाला अज्ञात नागरिक भी इस अंतर को अनुभव करता है। सुदूरवर्ती स्थानों पर भी सुविधाएं प्रदान की गईं और हमारे देश के एकांत क्षेत्रों में निवास करने वाले अज्ञात व्यक्ति इसका प्रमाण रहे। हमारा उद्देश्य था मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक और यह अभी भी बना हुआ है।

5. पिछले पांच वर्षों के दौरान जो बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे और सेवाएं प्रदान की गईं थी अब उनकी गति में और भी तेजी लाई जाएगी। हम प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाएंगे, निष्पादन को प्रेरणादायक बनाएंगे, लाल फीताशाही को कम करेंगे और प्रौद्योगिकी का पहले ही की तरह सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। चाणक्य नीति सूत्र में भी यह कहा गया है : "कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपाद्यते'' इसका आशय यह है कि "दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मानवीय प्रयासों के साथ कार्य निश्चित रूप से ही पूरे होंगे''। उर्दू के एक शेर में यह कहा गया है किः "यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है''।

दशक के लिए लक्ष्य

6. जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानतः 1.85 ट्रिलियन अमरीकी डालर थी। 5 वर्षों के भीतर यह 2.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई है। अतः, यह हमारी क्षमता के भीतर है कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगी। फरवरी, 2019 में प्रस्तुत 2019-20 के अंतरिम बजट में, हमने अपने लिए लक्ष्य रखा था। आज यहां मैं अपने समक्ष रखे गए अपने लक्ष्य के निम्न दस बिन्दुओं का उल्लेख करती हूँ:

क. भौतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण;

ख. डिजीटल इंडिया का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचना;

ग. हरित मातृ भूमि एवं नीले आसमान के साथ प्रदूषण मुक्त भारत;

घ. एमएसएमई, स्टार्ट-अप, रक्षा विनिर्माण, ऑटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, फैब्ज एंड बैटरीज, और चिकित्सा उपकरणों पर विशेष जोर के साथ "मेक इन इंडिया";

ङ जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां;

च. ब्ल्यू इकोनॉमी;

छ. अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रम;

ज. खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात;

झ. स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे, नागरिकों की सुरक्षा;

ञ. जन भागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया।

7. हमारे सामने निर्धारित इस लक्ष्य के साथ और जनता द्वारा दिए गए अधिदेश के साथ, हम इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प हैं कि भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसका यह वास्तव में हकदार है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के सुस्पष्ट शीर्ष नेतृत्व में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था

8. चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डालर की हो जाएगी। वर्तमान में यह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांच वर्ष पहले, इसका स्थान 11वां था। क्रय शक्ति की समानता की दृष्टि से, हम वास्तव में, पहले से ही चीन और अमरीका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।

9. इसे और इससे अधिक प्राप्त करने के लिए हमें अनेक संरचनात्मक सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों में, हमने अनेक बड़े सुधार, खासकर अप्रत्यक्ष कराधान, दिवालियापन और रियल स्टेट में देखे हैं। जब संसद में यहां ये सुधार हो रहे थे तब आम आदमी की व्यवसाय में सहायता करने के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए उसका जीवन बदला रहा था, और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि उसकी रसोई धुआं मुक्त हो, उसके मकान को बिजली कनेक्शन मिले और घरों में शौचालयों के प्रावधान के साथ महिलाओं की गरिमा को सम्मान दिया जा रहा था। कायाकल्प संबंधी प्रमुख सुधारों के रूप में भी आम आदमी की सेवा की गई और इसे जारी रखने के लिए हमें अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटी तथा मध्यम फर्मों में रोजगार सृजन में भारी निवेश करने की आवश्यकता है।

10. **माननीय अध्यक्ष महोदय,** भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने में 55 वर्ष से भी अधिक समय लगा, किन्तु जब देश और उसके लोगों के ह्रदय आशा, विश्वास और आकांक्षा से भरे हुए हैं, हमने, 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डालर की राशि जोड़ दी है। आज हम लगभग 3 ट्रिलियन डालर के स्तर के करीब हैं। इसलिए जब हम 5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने की आकांक्षा करते हैं तो यदि यह संभव हो सके तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। यदि हम अपने नागरिकों के "पुरुषार्थ'' या इस सदन में उपस्थित समर्पित नेतृत्व द्वारा की गई प्रगति के लिए उनकी अंतर्निहित इच्छा के साथ परिपूर्ण उनके "मानवीय अनुकरण के लक्ष्य की सराहना कर सकते हैं तो यह गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जाने योग्य है।

11. भारत के निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों- चाहे वे लघु हों, मध्यम हों, या बड़े हों- ने हमारी विकसित होती अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं उद्योग के एक प्रमुख नेता के शब्दों को याद दिलाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद उनकी कंपनी की वृद्धि सदैव भारत के विकास के अनुरूप रही है। इसलिए यदि आजादी से पूर्व, इंडिया इंक ने "स्वदेशी" को समझा था, तो आज वे "मेक इन इंडिया" को समझते हैं। हम विधिसम्मत लाभ की कमाई को नीची नजर से नहीं देखते हैं। नीतिगत अधःपतन और लाइसेंस-कोटा-नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिन लद गए हैं। इंडिया इंक भारत के रोजगार के सृजनकर्ता हैं। वे राष्ट्र की संपदा के सृजनकर्ता हैं। साथ ही, आपसी विश्वास के साथ, हम उत्प्रेरक तीव्रगति का लाभ उठा सकते हैं और निरंतर राष्ट्रीय विकास प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू और विदेशी निवेशों के नैतिकता सम्मत चक्र की शुरूआत के लिए संरचना के एक भाग के रूप में अनेक पहलों का प्रस्ताव करना चाहती हूँ।

12. संबद्धता किसी अर्थव्यवस्था की जीवनशक्ति होती है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल भाड़ा गलियारों, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के जरिए भौतिक संबद्धता के सभी रूपों को व्यापक बढ़ावा दिया है। औद्योगिक गलियारों से जलग्रहण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक निवेश के लिए अवसंरचना की उपलब्धता बेहतर होगी, समर्पित माल भाड़ा गलियारों से हमारे रेल नेटवर्क की भीड़भाड़ कम होगी जिससे आम आदमी को लाभ होगा। भारतमाला के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी, जबकि सागरमाला से पत्तन की सम्बद्धता, आधुनिकीकरण और पत्तन से संबद्ध औद्योगिकीकरण में वृद्धि होगी। यदि सागरमाला का उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए अवसंरचना में सुधार लाना है तो यह समान रूप से गरीब आदमी की परिवहन व्यवस्था भी है। जलमार्ग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन की क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन के जरिए किए गए आंतरिक व्यापार को सुचारू बनाना है। इन पहलों से परिवहन की लागत और घरेलू उत्पादिता वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर लॉजिस्टिक में भारी सुधार आएगा। इन पहलों से परिवहन की लागत घटेगी घरेलू उत्पादित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर लॉजिस्टिक्स में भारी सुधार आएगा।

13. उड़ान स्कीम से छोटे शहर वायु मार्ग से जुड़ रहे हैं तथा हमारे देश के सामान्य नागरिक हवाई यात्रा का लाभ उटाने में सक्षम हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने में भी सदद मिल रही है।

14. दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में अब भारत के लिए अपनी जमीन से हवाई जहाजों के वित्तपोषण और लीज करने की गतिविधियों में प्रवेश करने का समय आ गया है। यह भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) नामशः अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएसएससी) में उपलब्ध कारोबार के अवसरों का लाभ उठाने के अतिरिक्त उद्ययन वित्त अवस्था में महत्वाकांक्षी रोजगारों का सृजन करते हुए, एक आत्मनिर्भर उडयन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस प्रकार की गति-विधियों के लिए भारत को एक हब बनाने हेतु विनियामक रोड मैप के अनिवर्य तत्वों को क्रियान्वित करेगी।

15. भारत में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) उदमयोग के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी मुहैया कराने के लिए इस महत्वपूर्ण उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के इंजीनियरिग के लाभ और क्षमता का फायदा उठाने का प्रस्ताव किया जाता है। सरकार देश में एसआरओ के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों को आंगीकृत करेगी।

16. कुल 300 किलोमीटर की लम्बाई वाले मार्ग की नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को 2018-19 के दौरान मंजूरी दी गई थी। साथ ही, 2019 के दौरान लगभग 210 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर प्रचालन शुरु हो गया है। इसके चलने के साथ देशभर में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क प्रचालनरत है।

17. राष्ट्रीय साझा चलायमान कार्ड (एनसीएमसी) मानकों पर आधारित परिवहन हेतु भारत के स्वदेश में विकसित पहले भुगतान पारिस्थितिकी का माननीय प्रध्नमंत्री द्वारा मार्च 2019 को उद्घाटन किया गया था। इससे लोग देशभर में मेट्रो सेवाओं तथा चूंगी कर सहित विभिन्न प्रकार

के परिवहन प्रभारों का भुगतान करने में सक्षम होंग। यह अंतर-प्रचालनयोग्य परिवहन कार्ड रूपे कार्ड से चलना है और इससे कार्डधारक इनकी बस यात्रा, चूंगी कर, पार्किंग प्रभार, खुदरा खरीदारी का भुगतान कर सकेंके तथा धन की निकासी भी कर सकेंगे।

18. मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ फेस (एफएमई) योजना, फेस-II 2019 के वित्तीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल, 2019 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन की पेशकश करके तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनें को शीघ्रता से अपनाने को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी वाले और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें आम आदमी के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मुहैया कराने पर अधिक बल दिया गया है।

19. सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से पुनर्संरचित करेगी कि वित्तीय रूप से वहनीय माडल का प्रयोग करते हुए वांछनीय लम्बाई और क्षमता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड बनाया जा सके। जहां भारत माला परियोजना का प्रथम चरण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है, वहीं वित्तीय चरण में, राज्यों को राज्य सड़क नेटवर्क विकसित करने में मदद की जाएगी।

20. हमें हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित कराने की आवश्यकता है ताकि सड़क और राजमार्ग से आवाजाही हेने वाले अंर्तदेशीय कार्गो के एक बड़े हिस्से को जलमार्ग से भेजा जा सके। सरकार कार्गो परिवहन के लिए नदियों के प्रयोग पर विचार कर रही है, जिससे सड़कों और रेल मार्गों से भीड कम करने में भी मदद मिलेगी। गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने की जल मार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में, वाराणासी में एक मल्टी माडल टर्मिनल नवम्बर, 2018 में शुरु हो गया है तथा साहिबगंज और हाल्दिया में ऐसे दो टर्मिनल तथा फरक्का में एक नेविगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा। गंगा नदी पर कार्गो की आवाजही अगले चार वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है। इससे माल और यात्रियों की आवाजही सस्ती होगी और हमारे आयात बिल में कमी आएगी।

21. अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेल अवसंरचना के लिए ₹50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपए हे, सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीव्र विकास और पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टाक विनिर्माण तथा यात्री मालभाड़ा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया जाए।

22. केनेक्टिविटी अवसंरचना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम एक देश, एक ग्रिड - जिससे सभी राज्यों को किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, इस सफल बिजली कनेक्टिविटी माडल को अपनाएंगे। मैं गैस ग्रिड, जल ग्रिड, आई-वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्ल्यूप्रिंट लाने का प्रस्ताव करती हैं।

23. पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्रों की क्षमता के न्युनतम उपयोग की समस्या के समाधान पर बनी उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों को अब क्रियान्वित किया जाएगा।

24. हमारी सरकार ने 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) की शुरूआत की थी जिसका उद्देश्य डिस्कॉम के वित्तीय और प्रचालन का कायापलट करना था। सरकार इस स्कीम के निष्पादन की जांच कर रही है तथा इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। हम क्रास सब्सिडी प्रभार, खुली बिक्री पर अवांछनीय शुल्क अथवा औद्योगिक एवं बिजली के अन्य उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव जनरेशन जैसे अवरोधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करेंगे। इन संरचनात्मक सुधारों के अतिरिक्त, प्रशुल्क नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक सुधारों के पैकेज की घोषणा की जाएगी।

25. यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेंटल हाउसिंग के बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए जाएंगे। वर्तमान किराया कानून हकियानुसी है क्योंकि इसमें किरायादार और किराए पर देने वाले के बीच के संबंध पर वास्तविक और न्यायसंगत विचार नहीं किया जता। एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को परिचालित किया जाएगा।

26. देशभर में केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योमें द्वारा धारित भुखंड़ों पर वृहत सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। संयुक्त विकास और रियायत जैसे नवाचारी साधनों के जरिए सार्वजनिक अवसंरचना तथा किफायती आवास निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे।

27. एमएसएमई के लिए क्रेडिट की सुलभता हेतु सरकार ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर एमएसएमई को ₹1 करोड़ तक ऋण मुहैया कराने की शुरूआत की है। एमएसएमई के लिए ब्याज माफी के तहत जीएसटी में पंजीकृत सभी एमएसएमई के लिए नए अथवा पुराने ऋणों पर 2 प्रतिशत की ब्याज माफी हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹350 करोड़ का आवंटन किया गया है।

28. आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकर्ताओं विशेषतः एसएमई और एमएसएमई को सरकारी भुगतान नकद प्रवाह का एक मुख्य स्रोत है। इन भुगताने में विलम्ब होने की स्थिति में कारोबीरी धारणा के साथ-साथ एसएमई कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के विलम्बों से कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तथा बैंक ऋण एनपीए बन जाते हैं। यदि भुगतान के इन विलम्बों को समाप्त किया जाए तो एमएसएमई में भारी निवेश होगा। सरकार एमएसएमई के लिए एक भुगतान प्लेटफॉम सृजित करेगी ताकि बिल प्रस्तुत करने और उसके भुगतान का प्लेटफार्म पर ही किया जा सके।

29. जबर्दस्त प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना नामक नई स्कीम के अंतर्गत ₹1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में नामांकन की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खाता की आवश्यकता होगी और शेष स्व-घोषणा पर निर्भर रहेगा।

30. हम मानते हैं कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि भारत को प्रतिवर्ष औसत ₹20 लाख करोड़ (प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमरीकी डालर) के निवेश की आवश्यकता है। अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता हैः

- क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं, को 2019-20 में सल्थापित किया जाएगा।

- अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कारपोरेट रेपो, क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप इत्यादि के लिए बाजारों को गहन करने सहित दीर्घाविधिक बांडों के लिए बाजार को गहन करने हेतु एक कार्रवाई योजना लाई जाएगी।
- आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को विनिर्दिष्ट लाक-इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने/बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

31. कोरपोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि बांड निर्गमण की संख्या और मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन पिछले दो वर्षों में इनमें कमी आई है। बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है। बांड के बाजारों को और गहन करने की आवश्यकता को देखते हुए, कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है:-

- कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में कोरपोरेट त्रिपक्षीय रेपो बाजार को गहन करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ कार्य करेगी ताकि स्टाक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में एए दर्जा वाले बांड की अनुमति दिए जाने में संदाय बनाया जा सके।
- आईएसआईएन की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कारपोरेट बांड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म के प्रयोक्ता प्लेटफार्म के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी।

32. सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूतम सरकारी शेयरधारिता बढ़ाने पर विचार करने का यह सही समय है। मैंने सेबी से वर्तमान न्यूनतम राशि 25% से बढ़ाकर 35% करने के लिए कहा है।

33. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के मुख्य स्रोत के रूप में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सुव्यवस्थित और निर्बाध निवेश अनुभव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए मौजूदा अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों को युक्ति संगत बनाने और दुरुस्त करने का प्रस्ताव है जिससे कि सीमा-पार पूंजी प्रवाह की अखंडता से समझौता किए बगैर इसे अधिकाधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके।

34. अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रोनिक फंड रेइजिंग प्लेटफार्म ए सोशल स्टाक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें।

35. राजकोषीय हुंडियों और सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों से निवेश कराना महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयास के अनुपूरक के रूप में स्टाक एक्सचेंजों का उपयोग करते हुए और अधिक संस्थागत गतिविधियों की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजन के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक में जमाकर्ताओं और सेबी में जमाकर्ताओं की परस्पर प्रभावोत्पादकता अनिवार्य होगी। इससे भारतीय रिजर्व बैंक और निक्षेपागार लेजर के बीच राजकोषीय हुंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों का निर्बाध अंतरण समर्थ बनाया जा सके। इसके संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ परामर्श करके सरकार आवश्यक उपाय करेगी।

36. वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा। वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13% गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर आ गया। यूएनसीटीएडी के विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी। 2018-19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 64.375 बिलियन अमरीकी डालर पर मजबूत रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए मैं इस आय को और अधिक समेक्षित करने का प्रस्ताव रखती हूं।

क. सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानम् मीडिया (एनीमेशन, एवीजीसी) और बीमा क्षेत्र में और अधिक एफडीआई खोलने के सुझावों की जांच करेगी।

ख. 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बीमा मध्यस्थताओं के लिए अनुमति दी जाएगी।

ग. एकल ब्रांड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआ के लिए स्थानीय स्रोत के मानदंडों को आसान बनाया जाएगा।

37. यह उचित समय है कि भारत न केवल माल और सेवाओं के उत्पादन की वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बने अपितु वैश्विक बचत जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने, जो अधिकांशतः पेंशन, बीमा और सावरन वेल्थ फंड में संस्था का रूप ले चुके हैं। सरकार, ऐंकर के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि (एमआरआईएफ) का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है। इसमें सभी तीन श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी - शीर्ष के उद्योगपति/कारपोरेट होंचो, शीर्ष के पेंशन/बीमा/संप्रभु संपत्ति निधियां और सर्वोत्तम डिजिटल प्रौद्योगिकी/उद्यम निधियों को आमंत्रित किया जाना है।

38. सीमा पार निवेश जुटाने का एक महत्वपूर्ण कारक एफ पी आई के पास निवेशयोग्य स्टाक की उपलब्धता है। स्टाक लक्षित निवेश से निष्क्रिय निवेश की ओर धीरे-धीरे बदलाव को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके द्वारा निधियां वैश्विक सूचकांकों का अनुसरण करती है, जो उपलब्ध अस्थिर स्टाक पर निर्भर करती है। तद्नुसार, कंपनी में एफपीआई निवेश के लिए सांविधिक सीमा 24% से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव रखती हूं। इसमें संबंधित कारपोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है।

39. यद्यपि भारत विश्व का शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता है, भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीयों का निवेश तुलनात्मक दृष्टि से कम है। भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से मैं, एनआरआई-पोर्टफोलियो निवेश स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव रखती हूं।

40. पिछले पांच वर्षों में, अवसंरचना निवेश न्यास, स्थावर सम्पदा निवेश न्यास जैसी नई और नवोन्मेषी लिखतें शुरू की गई हैं तथा अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड आस्ति आधुनिकीकरण कार्यनीति के भाग के रूप में टोल आपरेट अंतरण जैसे माडल्स शुरु किए गए हैं। ब्राउनफील्ड आस्ति मुद्रीकरण में भारत को समुचित सफलता मिली है और अनेक निवेश आईटी और एक आरईआईटी संव्यवहार पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक टोल आपरेट अंतरण संव्यवहार किया। इन लिखतों और माडलों के जरिए जुटाए गए संचयी संसाधन ₹24,000 करोड़ से अधिक है।

41. प्रौद्योगकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो। एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम अर्थात् न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो, द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी। इसमें लान्च व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है।

ग्रामीण भारत/रुरल इंडिया

42. महात्मा गांधी ने कहा था "भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है।" इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दे। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केन्द्र बिन्दु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव गरीब और किसान है।

43. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की **उज्जवला योजना** और **सौभाग्य योजना** नामक दो प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल दिया है, उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है। स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता में, 7 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सभी गांव और देशभर में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साह पूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी।

44. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है। पिछले पांच वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए हैं। पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में, 2019-20 से 2021-22 के दौरान, पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। ये आवास, शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ दिए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और प्रौद्योगिकी निविष्टियों के उपयोग से आवासों को पूरा करने हेतु दिनों की औसत संख्या 2015-16 में 314 दिनों से घटाकर 2017-18 में 114 दिन कर दी गई है।

45. मत्स्यपालन और मछुआरा समुदायों को कृषि में शामिल किया गया है और ग्रामीण भारत के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। एक संकेन्द्रित योजना - **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** के माध्यम से

मात्सियिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढ़ांचा की स्थापना करेगा। वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं।

46. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र बस्तियों की व्यापक सम्पर्कता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यावहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना निर्धारित किया गया है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऐसी 97% बस्तियों को अब सभी मौसम में सम्पर्कता प्रदान की गई। यह, पिछले 1,000 दिनों में प्रतिदिन 130 से 135 कि.मी. सड़क निर्माण की उच्च गति को बरकरार रखकर संभव हो सका है। सतत् विकास के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर हरित प्रौद्योगिकी अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्सड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 30,000 कि.मी. पीएमजीएसवाई सड़कें बनाई गई हैं, इसके द्वारा कार्बन फुटप्रिंट कम किया गया है। बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए पीएमजीएसवाई-III में ₹80,250 करोड़ की अनुमानित लागत से आगामी पांच वर्षों में 1,25,000 कि.मी. सड़क का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है।

47. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता अभी गांवों में रहती है और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर है, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन और पुनर्सृजन निधि स्कीम का लक्ष्य, पारंपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादक, लाभदायक और धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कलस्टर आधारित विकास सुसाध्य बनाने के लिए अधिकारिक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है। संकेन्द्रित क्षेत्र बांस, मधु और खादी कलस्टर हैं। एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत 2019-20 के दौरान 100 नए कलस्टर की स्थापना करना है, जिससे 50,000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए स्कीम को समेकित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि-ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75,000 कुशल उद्यमी के विकास हेतु 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

48. हम कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बाड़े से बांस और टिम्बर जैसे संबद्ध क्रियाकलापों से खेत से किसानो की फसल हेतु मूल्यवर्धन के कार्य में लगे निजी उद्यमशीलता को हम सहायता करेंगे। अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकता है। पशु चारा विनिर्माण, मामूली खरीद, प्रक्रियान्वयन और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन करके सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मैं, हमारे उन किसानों की सराहना करती हूँ जिन्होंने दालों के मामले में भारत को आत्म निर्भर बनाया है। मुझे विश्वास है कि तिलहनों के उत्पादन में भी उन्हें ऐसी सफलता मिलेगी। उनकी सेवा द्वारा हमारा आयात बिल कम होगा।

49. किसानों के लिए अर्थव्यवस्था का मान सुनिश्चित करने के लिए हम अगले पांच वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की आशा करते हैं।

50. ई-नाम से किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। कृषि उत्पाद विपणन सहकारिता (एपीएमसी) अधिनियम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यावसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होना चाहिए। हम उस स्थिति में वापस आ जाएगें जिसमें किसानों के लिए बजट आवंटित करने की आवशयकता नहीं होगी। (जीरो बजट फार्मिंग) हमें इस नवाचार मॉडल को दोहराने की जरूरत है जिसके माध्यम से कुछ राज्यों में इस कार्य के लिए किसानों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है।

51. भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिला कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में मुख्य कदम उठाया गया है। यह नया मंत्रालय अपने जल संसाधनों और जल आपूर्ति का समेकित और सामूहिक रूप से प्रबंधन करेगा, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल (पाइपलाइन जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत, स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनःप्रयोग जैसे साधनों को बनाए रखने हेतु स्थानीय अवसंरचना का निर्माण/स्थापना शामिल हैं। जल जीवन मिशन देश भर में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की योजना के साथ जुड़ जाएगा।

52. सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लाक जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों में फैले हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा, सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी।

53. स्वच्छ भारत अभियान ने व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ प्रदान करने के अलग राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। वर्ष 2014 में शुरु की गई इस पावन योजना के व्यापक सफलता प्राप्त की है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। हमें इस सफलता को बनाए रखना है। हमें न केवल लोगों की आदत में बदलाव लाना है बल्कि अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाना है। मैं अब प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरु करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ।

54. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक दो करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजीटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी डिजीटल अंतर को पाटने के लिए भारत-नेट देना में प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को

लक्षित कर रहा है। इसे सार्वभौमिक बाध्यता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जाएगा।

शहरी भारत

55. यह सरकार भारत के तेजी से होते शहरीकरण को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखती है। हमें प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करके हमारे शहरों और गांवों, दोनों का निर्माण करना होगा। इस तरह से हम लोगों को उनके घरों के पास रहने में मदद करेंगे, इससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा, और सभी को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

56. प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी (पीएमएवाई-शहरी) के अंतर्गत लगभग ₹4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण की मंजूरी की गई है जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल द्वारा अभी तक 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है।

57. 95% से अधिक शहरों को भी ओडीएफ घोषित किया गया है। 1700 शहरों के 45,000 से ज्यादा सरकारी और सामुदायिक शौचालय गूगल मैप पर अपलोड किए गए हैं जो भारत की शहरी जनसंख्या के 53% से अधिक को कवर करते हैं। लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता एप को डाउनलोड किया है।

58. महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति अपने आपको पुनः समर्पित करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ हमारे लिए एक उपयुक्त अवसर है। 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के गांधी जी के निश्चय को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत संतुष्टि और खुशी हो रही है कि यह 2 अक्टूबर से पहले हासिल हो जाएगा। इस अवसर को मनाने के लिए, 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी दर्शन,राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्‌घाटन किया जाएगा। गांधी जी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी विश्वकोश भी विकसित किया जा रहा है।

59. भारतीय रेलवे की उपशहरी तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे शहर तथा छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही है। रेलवे को दिल्ली मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रिजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसी विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) संस्थाओं के जरिए उपशहरी रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रांजिट हब के इर्द-गिर्द वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट उन्मुखी विकास (टीओडी) का समर्थन करते हुए,मैं अधिक पीपीपी पहलों को बढ़ावा देकर तथा स्वीकृत कार्य के समापन को सुनिश्चित करके मेट्रो-रेलवे पहलों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। हम 2022 तक डेडीक्रेडिट फ्रंट कारीडोर पार्ट योजना पूरी कर लेंगे जो यात्री रेलगाड़ियों के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्क को मुक्त रखेगी।

युवा

60. सरकार भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में से एक करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी। नई नीति अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालयी और

उच्च शिक्षा दोनों में मुख्य परिवर्तनों, बेहतर अभिशासन प्रणालियों का प्रस्ताव करती है तथा अनुसंधान और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देती है।

61. हम देश में अनुसंधान को वित्तपोषित करने, समन्वित करने तथा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। एनआरएफ एक दूसरे से स्वतंत्र विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जा रही अनुसंधान संबंधी अनुदानों का समावेश करेगा। यह आरएएफ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयास और व्यय के दोहरीकरण के बिना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आधारभूत विज्ञान के प्रासंगिक पहचाने गए मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश में समग्र अनुसंधान प्रणाली मजबूती हुई है। हम एनआरएफ के लिए काफी प्रगतिशील और अनुसंधान परक संरचना तैयार करेंगे। सभी मंत्रालयों में उपलब्ध धनराशि एनआरएफ में शामिल की जाएगी। इसे अतिरिक्त निधि के साथ पर्याप्त रूप से संपूरित किया जाएगा।

62. एसडब्ल्यूएवाईएएम पहल के जरिए ऑनलाइन खुले व्यापक कार्यक्रमों ने छात्र समुदाय के वंचित भाग के डिजीटल अलगाव को समाप्त करने में सहायता की है। अध्यापन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए उच्च शिक्षा में वैश्विक शैक्षणिक पहल नेटवर्क (जीआईएएन) कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के वैश्विक समूह का पता लगाना था। देश की जरूरत के अनुसार चयनित क्षेत्रों में मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान हेतु एक रोड मैप विकसित करने के लिए इंम्प्रिट अथवा प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना पैन-आईआईटी और आईआईएसी संयुक्त पहल के रूप में शुरू हुई है। उच्च शैक्षणिक संस्थाएं नवाचार केन्द्र बन रही है।

63. इन पहलों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। पांच वर्ष पहले विश्व विश्वविद्यालय रैकिंग में टॉप 200 में भारत की एक भी संस्था नहीं थी। अपने स्तरों को बढ़ाने के लिए तथा अपने परिचय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमारी संस्थाओं द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण, अब हमारे पास टॉप 200 ब्रेकिट में तीन संस्थाएं है-दो आईआईटी तथा आईआईएससी बंगलौर। हमारे प्रयासों के कारण अब यह खिड़की खुल गई है। सुधार के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास जारी रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए "विश्व श्रेणी संस्था" शीर्ष के अंतर्गत ₹400 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना ज्यादा है। भारत के पास उच्च शिक्षा का केन्द्र बनाने की क्षमता है। इसलिए मैं "भारत में अध्ययन" नामक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को अध्ययन करने के लिए लाने पर केन्द्रित होगा।

64. ज्यादा स्वायत्ता को बढ़ाने तथा बेहतर शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने के लिए उच्च शिक्षा की विनियमकारी प्रणाली को व्यापक स्तर पर सुधारा जाएगा। अगले वर्ष में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा।

65. अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई "खेलो भारत योजना" ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है। सरकार खेलों भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाडियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

66. यह सरकार महानसंत बश्वेशरा को मानती है और इनके उपदेशों का पालन करती है, विशेषरुप से कयाका और दसोहा के सिद्धांतों को। "क्याकेव कैलाश" की कार्यान्वित करते हुए, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। यह गति और अन्य स्तरों के साथ बहुतायत में कौशलयुक्त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान यह दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने युवाओं को तैयार करने के लिए, हम भाषा प्रशिक्षण सहित, विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिशल इंटेलीजेंस) (एआई), कम्प्यूटर संबंधी उपकरण, बिना डाटा 3डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर भी ध्यान देंगे जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है और ये काफी ज्यादा पारिश्रमिक प्रदान करते हैं।

67. संत बश्वेशरा का दोबारा उल्लेख करते हुए, मैं यह कहना चाहूँगी कि इनका दसोहा का सिद्धांत उन कार्यों को रेखांकित करता है जन्हें यह सरकार करती है। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए ''गिव इट-अप' अथवा विभिन्न पेंशन योजनाएं समाज की भलाई के लिए है।

68. सरकार का अनेक श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं के सेट में सुचारू बनाने का प्रस्ताव है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण की प्रक्रिया और विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना मानकीकृत और सुचारू हो जाएगा। श्रम संबंधी विभिन्न भाषाओं के मानकीकृत होने के साथ, यह आशा की जाती है कि भविष्य में कम विवाद होंगे।

69. हम स्टार्ट अप के लिए विशेषरूप से डीडी चैनलों के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते है। इससे स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने, उनको वृद्धि को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने, उपक्रम परक उद्यमियों के साथ तालमेल बिठाने और वित्त व्यवस्था तथा कर योजना के लिए एक फ्लेटफार्म तैयार होगा। स्टार्ट अप की शुरुआत करने वाले ही इस चैनल की योजना बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी। बाद में, मैं इस भाषण में स्टार्ट अप के कराधान संबंधी मामलों को उठाऊंगी।

70. स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जबरदस्त लाभ सामने आए हैं, देश महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हजारों उद्यमियों को उभरते भी देख रहा है, इनमें से अधिकांश को अपना व्यवसाय, उद्योग, स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई, और इसके लिए उन्हें स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपलब्ध कराई गई। इस स्कीम के लाभकारी परिणामों को देखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के समुदायों के बीच इस जारी रखने की भारी मांग है; 15 वें वित्त आयोग 2020-25 की अवधि के अनुरूप इस स्कीम को जारी रखा जाएगा। बैंक, मांग आधारित व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे, उदाहरणार्थ इसमें स्कैवेंजिंग मशीनों और रोबोटो की खरीद भी शामिल होगी।

71. स्टैंड अप इंडिया स्कीम से मानव गरिमा और आत्म सम्मान मुखर हो उठा है। "काया कावे कैलासा" पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बड़े पैमाने पर एलपीजी ढुलाई की व्यवस्था करने में सक्षम बनाया है। दो वर्षों की अवधि के दौरान, 300 से अधिक उद्यमी उभरे हैं। मशीनों और रोबोटों को स्केवेंजिंग का कार्य में

नियोजित किया गया है जिससे शारीरिक रूप से स्केवेंजिंग करने वालों की गरिमा की रक्षा हुई। उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के साथ स्टैंड अप और स्टार्ट अप के समन्वय के कायापलट करने वाला बदलाव हुआ है।

सहज जीवन निर्वाह

72. इस सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को जीवन में और अधिक सुविधा मुहैया कराना है। डिजिटल भुगतान सेवाओ को प्रत्येक स्थान पर स्वीकार्यता मिल रही है, इसमें सरकार भी शामिल है।

73. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत 5 मार्च, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य असंगठित और अनौपचारिक सेक्टरों के करोड़ों कामगारों को 60 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त कर लेने पर ₹3000 प्रतिमास पेंशन के रूप में उपलब्ध कराने का है। लगभग 30 लाख कामकार इस स्कीम में शामिल हो गए हैं।

74. गुणवत्तापरक जीवन और सहज जीवन निर्वाह के लिए स्वच्छ वातावरण और सतत् ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। देश में परिवार स्तर पर एलईडी बल्ब का बड़े पैमाने पर वितरण करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया था, इसके फस्वरूप देश में पारंपरिक बल्ब व सीएफएल चलन से बाहर हो गई गए अनुमान है कि लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के अंतर वितरित किए गए, इससे प्रतिवर्ष ₹18,341 करोड़ की बचत हो रही है। भारत पारंपरिक बल्बों के उपयोग से मुक्त होने जा रहा है, साथ ही सीएफएल का उपयोग भी पहले से बहुत कम हो गया है। हम देश में सोलर स्टोव और बैटरी चार्जरों के लिए उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन एलईडी बल्ब पद्धति अपनाएंगे।

75. आम नागरिक के लिए रेल यात्रा को आरामदायक और सुखद अनुभव बनाने के लिए हम इस वर्ष बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे।

नारी तू नारायणी/महिलाएं

76. स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्णानंद को संबोधित एक पत्र में कहा थाः "नारी की स्थिति को सुधारे बिना संसार के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।" यह सरकार मानती है कि हम महिलाओं की और अधिक भागीदारी से ही प्रगति कर सकते हैं।

77. भारत की विकास गाथा में, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की बहुत मधुर दास्तान है। सरकार नारी की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने तथा आसान बनाने का विचार रखती है।

78. बजट का लिंग आधारित विश्लेषण बजटीय आवंटन जांच के लिए है, लिंग आधार दशकों तक इसका पैमाना बना रहा है। मैं आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन एवं कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत आधार वाली समिति बनाने का प्रस्ताव करती हूं।

79. मानव जीवन का ऐसा कोई कालखण्ड नहीं है जिसमें नारी का योगदान महत्वपूर्ण न हो। सरकार दृढ़ता के साथ यह मानती है कि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण,जो विशेष रूप से पिछले दशक से आकार ले रहा है, में भारतायी नारी की भूमिका और नेतृत्व सुस्पष्ट है। हाल ही में सम्पन्न चुनावों में पुरूषों के समान ही महिला मतदाताओं ने रिकार्ड मतदान किया। इस समय लोकसभा में रिकार्ड 78 महिला सांसद है। यह महिला केन्द्रित नीति से परे हमारे दृष्टिकोण को रेखांकित करती है कि हम महिला नीति संबंधी पहलों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं।

80. इस सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया एवं सहायता समुह (एसएचजी) कार्यक्रमों जैसी विभिन्न स्कीमों के जरिए महिला उद्यमिता सहायता दी है और महिला उद्यम को बढ़ावा को बढ़ावा दिया है। देने के लिए में सभी जिलों में महिला एसएचजी हितकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा जनधन बैंक खाता धारी प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को ₹5,000 के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी। प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को मुद्रा स्कीम के अन्तर्गत ₹1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत का साफ्ट पावर

81. भारत के साफ्ट पावर की कई विभिन्न तरीकों से सराहना की जाती है। कतिपय आसान उदाहरण दृष्टव्य हैः विगत 3 वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवास पर लगभग 192 देशों में बड़े पैमाने पर योग का अभ्यास किया गया । महात्मा गांधी का प्रिय भजन "वैष्णव जन तो तेने कहिए" 40 देशों में उनके अग्रणी कलाकारों द्वारा गाया गया। इसके बाद भारत को जानो "वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मात्र एन आर आई ने ही नहीं बल्कि कई विदेशियों ने भी भाग लिया।

82. मैं भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर विचार करने के लिए प्रस्ताव करती हूँ।

83. मैं एक मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो हमारे पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ेगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो हम इनके लिए पेंटट और भौगोलिक सूचक प्राप्त करेंगें। इस उद्देश्य से मैं, इस गरिमामय प्रांगण से पहली बार यह घोषणा करती हूँ कि हम भारत के सृजनात्मक उद्देश्यों को अर्थव्यवस्था से जोड़ कर जहां आवश्यक है बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम (मिशन) प्रारंभ करेंगे।

84. अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उन देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है जहां अभी तक निवासी राजनयिक मिशन नहीं है। तदनुसार, मार्च 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन खोलने का अनुमोदन दिया था। वर्ष 2018-19 में रवांडा, जिबूती, भूमध्य गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी और बुर्किना फासो में पांच दूतावास पहले ही खोले जा चुके हैं। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है। इससे विदेशों में

न केवल भारत की उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि हम इन देशों में विशेष कर स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर तथा अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ होंगे।

85. प्राचीन काल से हमारी यह परंपरा रही है कि भारत ने हमेशा से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समन्वय के जरिए देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया है। भारतीय विकास सहयोग स्कीम (आईडीईएएस) परियोजनाओं के लिए रियायती वित-पोषण उपलब्ध कराती है तथा प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में अवसंरचना विकास और क्षमता में योगदान देती है। छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते हम ऐसे वैकल्पिक विकास परक मॉडलों पर विचार करेंगे जिसमें निजी क्षेत्र इक्विटी, बहुपक्षीय वित्त-पोषण, कार्पोरेट, अनिवासियों से योगदान, आदि शामिल होंगे। मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आईडीईएएस स्कीम का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव करती हूँ।

86. सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित कर रही है जो अन्य पर्यटन स्थलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे।

87. समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्य से, एक डिजीटल संग्रह बनाया गया है जिसमें भारत में आदिवासियों के दस्तावेजों, लोक गीतों, उनके विकास क्रम के फोटोचित्रों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवन शैली, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानव-विकास का संग्रह किया जाता है। इस संग्रह को और अधिक समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

88. बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने लगे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में लगभग ₹1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई है, पिछले चार वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों के चलते ₹4 लाख करोड़ से अधिक की रिकार्ड वसूली हुई है, वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात सात वर्षों में अपने उच्चतम स्तप पर है, और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई है। सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से लागू किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर आठ रह गई है। इसके साथ-साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक त्वरित सुधार कार्रवाई ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं।

89. पैतृक संपत्ति के मामलों से निपटने के लिए, फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने तथा बैंकों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ₹70,000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव देंगे, तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा, सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी, जहां अन्य द्वारा उनके

खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए भी सुधार किए जाएंगे।

90. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) छोटे और मध्यम औद्योगिक खण्डों में खपत मांग के साथ-साथ पूंजी सृजन को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एनबीएफसी, जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ हैं, को अत्यधिक प्रतिकूल जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचल फंड से वित्त-पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी, जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल एक लाख करोड़ रुपये की राशि, को उच्च दरवाली जुटाई गई आस्तियों की बिक्री करने के लिए, सरकार 10% तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए छह माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), एनबीएफजी का विनियामक है। तथापि, आरबीआई का एनबीएफसी पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में आरबीआई के विनियामक प्राधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं।

91. एनबीएफसी, जो सार्वजनिक ऋण देता है, को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाए रखना होता है और इसके अलावा, आरबीआई द्वारा अपेक्षित अनुसार एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। एनबीएफसी को पब्लिक इश्यू से धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के लिए, डीआरआर का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी, जो वर्तमान में केवल पब्लिक इश्यू पर ही लागू है जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है।

92. टीआरईडीएस प्लेटफार्म में एनबीएफसी-कारक के रूप में पंजीकृत न होने वाले और अधिक भागीदारों, विशेषकर एनबीएफसी, को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करना आवश्यक है और सभी एनबीएफसी को टीआरडीएस में सीधे भाग लेने की अनुमति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

93. हमारे सन्दर्भ में आवास क्षेत्र के लिए एक अनुकूल नियम का बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि दुबारा फाइनेन्स करता है और उधार देता है, आवास सम्बन्धी वित्तीय क्षेत्र का विनियामक भी है। इससे एनएचबी को कुछ हद तक विवादास्पद तथा कठिन कार्य मिलता है। मेरा प्रस्ताव यह है कि आवास सम्बन्धी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का जो प्राधिकार एनएचबी को दिया गया है वह उससे वापस लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाए वित्त विधेयक में आवश्यक प्रस्ताव शामिल कर लिये गये है।

94. सरकार ने अगले पाँच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में ₹100 लाख करोड़ का निवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की है। इस दिशा में एक ऐसी विशेषज्ञ समिति के गठित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य दीर्घकालिक वित्तसम्बन्धी वर्तमान स्थिति विकास पूरक वित्तीय संस्थानों के बारे में हमारे पुराने अनुभवों का अध्ययन करना और इन बुनियादी संरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिश देना है तथा यह बताना है कि विकासपरक वित्तीय सस्थानों के माध्यम से कितने धन को दिये जाने की जरूरत पड़ेगी।

95. पेन्शन फण्ड विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीएफआरडीए) राष्ट्रीय पेन्शन योजना को लागू और इनको विनियनित करते है जो कि विभिन्न मध्यस्थों की सहायता से होता है जिसमें अन्य के अलावा एनपीएस ट्रस्ट भी शामिल है। योगदान करने वालों के व्यापक हित को देखते हुए और एनपीएस और जीएफआरडी के बीच एक दूरी को देखते हुए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग रखने और उसको साथ एक यथोचित संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाएंगे।

96. अंतर्राष्ट्रीय बीमा संव्यवहारों को देश में ही (आन शोरिंग) पूरा कराने की सुविधा प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में विदेशी पुनः बीमाकर्त्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए, सरकार ने 'नेट ओन्ड फन्ड' की जरूरत को ₹5,000 करोड़ से कम करके ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है।

97. सरकार, गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में निवेश को कम करने की नीति अपना रही है जिससे कि सरकार का हिस्सा 51% से नीचे न जाने पाये। जिन मामलों में उपक्रमों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में बनाये रखना है, वहां सरकार मामले दर मामले के आधार पर 51% से नीचे लेकिन एक यथोचित स्तर पर इसे बनाये रखने पर विचार कर रही है। सरकार 51% की हिस्सेदारी बनाये रखने की अपनी इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे कि इस 51% की हिस्सेदारी में सरकार के नियन्त्रण में आने वाले संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जा सके।

98. भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह में सुधार लाने के लिए, घरेलू कारपोरेट प्रणालियों और रीतियों को विश्व की प्रणालियों और रीतियों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इक्विटी में वैश्विक वित्तीय गति में कतिपय मापदण्डों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उस स्टाक के बारे में मूल्यांकन किया जा सके जिसको विनिवेश के लिए चुनते है। सरकार का इरादा ऐसे सीपीएसई में फुटकर भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है जिनमें हाल ही में बहुत ही उत्साहवर्द्धक अपवर्ड रूख दिखाई दिया है। अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश को पैदा करने के लिए, सरकार सीपीएसई में, जिनमें बैंक भी आते हैं, अपनी स्थिति को फिर से ठीक करना चाहती है जिससे कि इसके और शेयर जारी किये जा सकें और यह अपने बाजार को और गहराई तक ले जा सके।

99. चुनिंदा सीपीएसई में रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम किये जाने की इस सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए, सरकार एअर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी सीपीएसई को मौका देगी।

100. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹1,05,000 करोड़ के विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। सरकार पीसीयू की एक रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनायेगी। सरकार गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाये रखने का काम जारी रखेगी।

101. ई.टी.एफ ने खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख अवसर प्रदान किया है और यह भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में एक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए, सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी। इससे सीपीएसई में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

102. पीएसयू में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और सूचीबद्ध पीएसयू को और अधिक वाणिज्यिक और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए, सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि सभी सूचीबद्ध पीएसयू के लिए जनता की 25% की भागीदारी के मानक सुनिश्चित हो सकें और सभी पीएसयू कम्पनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जा सके।

103. अपनी जीडीपी में भारत का सम्प्रभु ऋण विश्वभर में सबसे कम है जोकि 5% से भी नीचे है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा।

104. 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के सिक्कों की एक नयी श्रृंखला 7 मार्च 2019 को जारी की गई है जिसको कि नेत्रबधित लोग भी आसानी से पहचान सकते है। ये नये सिक्के जनता के प्रयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे।

105. हमने स्वतंत्रता के बाद पहले 50 वर्षों में "अधिकार" पर जोर दिया है स्वतंत्रता के पहले 75 वर्षों में हम भारत के प्रति अपने "कर्तव्य" पर जोर देना चाहिए और "अधिकार" में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। दुनियाभर के सभी विचारकों ने हमारे इस तर्क का समर्थन किया है कि अपने कर्तव्य के पालन में ही अपना-अधिकार सुरक्षित है। भारत के बेहतर भविष्य के लिए, 2022 में दुबारा, जब हम अपने स्वतंत्रता सेलानियों को याद करेंगे हम सबको राष्ट्र की सेवा में समर्पित भी होना चाहिए।

भाग-ख

106. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अपने उन करदाताओं को धन्यवाद के साथ शुरु करती हूं, जो जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपने करों का भुगतान करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। उनके बहुमूल्य अंशदान के कारण ही हमारी सरकार हमारे देश के समावेशी और सर्वांगीण विकास के हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए कार्य करने में समर्थ है। ऐसी परिस्थिति में, मुझे श्री पिसिरेन्दैयार की एक तमिल संगम काल की पुरा नानुरु नामक कृति की एक पंक्ति में बुद्धिमत्ता झलकती है। "यान्नै पुगुन्धा निलम" नामक कविता राजा पांडियन अरिबुदै नाम्बि को सलाह के रूप में दी गई थीः

इसका अर्थ यह है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े से प्राप्त धान की फसल से निकाले गए चावल के कुछ ढेर एक हाथी के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन यदि कोई हाथी धान के खेत में स्वयं घुसकर उसे खाना शुरु कर दे तब क्या होगा। यह जितना खाएगा उससे कहीं अधिक पैरों से कुचलकर बरबाद कर देगा।

प्रत्यक्ष कर

107. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण, पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2018-19 में 78% से भी अधिक बढ़कर लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वर्तमान में इसमें प्रत्येक वर्ष दो अंक की वृद्धि हो रही है।

108. अब मैं छोटे और मध्यम आय कमाने वाले व्यक्तियों पर कर भार को कम करने के लिए पिछले पांच वर्षों में इस सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की याद दिलाना चाहूंगी। इनमें स्व-नियोजित तथा छोटे व्यापारी, वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। उनकी वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक होते ही उन्हें कोई आयकर भुगतान करना अपेक्षित है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस संबंध में हमारे प्रयासों और उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

109. अध्यक्ष महोदय, मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य विकास की गति में तेजी लाना, सस्ते आवास को प्रोत्साहित करना तथा उद्यमिता की भावनाएं जाग्रत करके स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन की गति में भी तेजी आएगी। मेरा उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना और इसमें और अधिक पारदर्शिता लाना है।

110. जहां तक कार्पोरेट कर का संबंध है, हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे। फिलहाल, 25% की निम्न दर 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होती है। मैं इसमें 400 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इससे 99.3% कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। अब केवल 0.7% कंपनियां ही इस दर से बाहर रह जाएंगी।

सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़ा निवेश

111. आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया को बढावा देने के उद्देश्य से, सरकार, सेमी कंडक्टर फ्रैब्रिकेशन (फैब), सोलर फोटो वोल्टिक सैल्स, लिथियम स्टोरेज बैट्रीज, सोलर इलैक्ट्रिक चार्जिंग

इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्प्यूटर सेवाओं, लैपटॉप, आदि जैसे सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने तथा उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन आयकर छूटों से संबंधित निवेश और अन्य अप्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने के लिए एक स्कीम प्रारम्भ करेगी।

विद्युतचालित वाहन

112. अपने व्यापक उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह लक्ष्य है कि हमारा भारत मेढक की तरह ऊंची छलांग भरता हुआ विद्युतचालित वाहनों के विनिर्माण का विश्व में अग्रणी स्थान बने। उपर्युक्त स्कीम में सोलर स्टोरेज बैट्रियों और चार्जिंग अवसंरचना के समावेशन से हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने विद्युतचालित वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद पहले ही कार्यान्वित कर दी है। विद्युतचालित वाहनों को उपभोक्ताओं के लिए सस्ता बनाने के लिए भी, हमारी सरकार विद्युतचालित वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋणों पर अदा किए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करेगी। इससे विद्युतचालित वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने वाले करदाताओं को ऋण अवधि पर लगभग ₹2.5 लाख का लाभ मिलेगा।

स्टार्ट-अप

113. भारत में स्टार्ट-अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित 'एंजेल टैक्स' मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा। इससे स्टार्ट-अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी।

114. इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप के लंबित आकलनों और उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी जांच-पड़ताल या सत्यापन न किया जा सके।

115. वर्तमान में, स्टार्ट-अप द्वारा श्रेणी-I वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) सहित कतिपय निवेशकों को उनके द्वारा शेयर जारी करते समय जारी किए गए उनके शेयरों का उचित बाजार मूल्यांकन कराना अपेक्षित नहीं है। मैं यह लाभ श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि को भी देने का प्रस्ताव करती हूं। अतः इन निधियों को निर्गमित शेयरों का मूल्यांकन आयकर संवीक्षा के दायरे से बाहर होगा।

116. मैं स्टार्ट-अप के मामले में हानियों को अग्रेणीत और प्रतिसंतुलित करने की कुछ शर्तें शिथिल करने का भी प्रस्ताव करती हूं। मैं स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31-3-2021 तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव करती हूं।

सस्ता आवास

117. 'सबके लिए आवास' और सस्ते आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ता आवास के डेवलपरों द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। स्व-स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में, आवास ऋण पर प्रदत्त ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती की अनुमति है। इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए, मैं ₹45 लाख तक के मूल्य का सस्ता मकान खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज हेतु ₹1,50,000 तक अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार, सस्ता मकान खरीदने वाले व्यक्ति को अब ₹3.5 लाख तक ब्याज संबंधी कटौती का लाभ मिलेगा। इससे मध्यवर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर लगभग 7 लाख रुपये का लाभ प्राप्त होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

118. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारत की वित्तीय व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इनमें से अधिकाधिक विनियमनों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होती हैं, अतः अनुसूचित बैंकों की तुलना में उनके कर व्यवहार में अधिक समानता लाए जाने की आवश्यकता है। इस समय, अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्मित कतिपय अशोध्य अथवा संदेहास्पद ऋणों पर होने वाले ब्याज पर उस वर्ष कर लगाने की अनुमति दी जाती है जिस वर्ष ब्याज वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है। मैं यह सुविधा जमाराशियां लेने वालों के साथ-साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव करती हूं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

119. गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार द्वारा विगत में कई उपाय किए गए हैं। आईएफएससी को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं आईएफएससी को विभिन्न प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती हूं। इन प्रोत्साहनों में, 15 वर्ष की अवधि में किसी दस वर्षीय खंड में धारा 80-एलए के अंतर्गत 100 प्रतिशत लाभ आधारित कटौती, कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों को चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से छूट, श्रेणी-III एआईएफ के पूंजी लाभ तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान पर छूट शामिल हैं।

प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी)

120. मैं विकल्पों का चुनाव करने के मामले में निपटान और कारोबार के बाद के भाव के बीच के अंतर तक सीमित रखते हुए प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) लगाने में राहत देने का प्रस्ताव करती हूं।

जीवन को सरल और आसान बनाना

121. 'पेईंग टैक्सेस' श्रेणी के तहत भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है। यह रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 पर आ गई है। मैं, अब कई उपायों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव करती हूं जिनसे करदाताओं के लिए अनुपालना आसान बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा।

पैन और आधार में आपसी अदला-बदली

122. अध्यक्ष महोदय, अब 120 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड हैं। अतः करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए, मैं पैन और आधार में आपसी अदल-बदल करने तथा जिनके पास पैन नहीं है उनको अपने आधार संख्या को मात्र कोट करके आयकर विवरणी प्रस्तुत करने तथा पैन कोट करने की आवश्यकता होने पर उन्हें इसके इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं।

पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां दाखिल करना

123. करदाताओं को पहले से भरी हुई विवरणियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से अर्जित पूंजी लाभ, बैंकों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश और कर कटौतियों का ब्यौरा शामिल होगा। इन आयों के बारे में सूचना बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूच्युअल फंडों, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों इत्यादि जैसे संबंधित स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। इससे न केवल कर विवरणी प्रस्तुत करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी बल्कि इससे आय और करों की सूचना की स्टीकता भी सुनिश्चित होगी।

व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण

124. आयकर विभाग में संवीक्षा निर्धारण की मौजूदा प्रणाली में करदाता को विभाग में बार-बार आना-जाना पड़ता है जिसके फलस्वरूप कर अधिकारी कतिपय अवांछनीय व्यवहार करते हैं। ऐसी घटनाओं को समाप्त करने और माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, इलेक्ट्रानिक रूप में व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना एक निर्धारण स्कीम जिसमें कोई भी मानवीय हस्तेक्षप नहीं होगा, को इस वर्ष चरणबद्ध तरीके से शुरु किया जा रहा है। इसकी शुरुआत में, उन मामलों में ई-निर्धारण किया जाएगा जिनमें कतिपय विशिष्ट लेन-देनों अथवा विसंगतियों का सत्यापन करना जरूरी है।

125. संवीक्षा के लिए चयनित मामले यादृच्छिक तरीके से निर्धारण इकाइयों को आवंटित किए जाएंगे तथा केंद्रीय प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारण अधिकारी का नाम, पदनाम अथवा स्थान को प्रकट किए बिना इलेक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी किए जाएंगे। केंद्रीय प्रकोष्ठ करदाता और विभाग के बीच संपर्क का एकल बिंदु होगा। निर्धारण करने की यह स्कीम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी।

डिजिटल भुगतान

126. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने डिजिटल भुगतान और कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं। डिजिटल भुगतानों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, अधिकाधिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव करती हूं। कारोबारी भुगतान नकद में किए जाने की परिपाटी को हतोत्साहित करने के लिए, मैं, बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस लगाए जाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त, कम लागत की अनेक डिजिटल भुगतान विधियां हैं जैसा कि भीम, यूपीआई-क्यूआरकोड, आधार-पे, कतिपय डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जिनका उपयोग कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, वे अपने

ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान की विधियों की पेशकश करेंगे और ग्राहकों तथा व्यापारियों पर कोई प्रभार या व्यापारिक छूट दर अधिरोपित नहीं की जाएगी। जैसे-जैसे लोग इन डिजिटल भुगतानों की ओर बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक उन बचतों से इन लागतों का समायोजन करेंगे जो कम नकदी के प्रचलन के कारण उन्हें प्राप्त होगी। आयकर अधिनियम एवं भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं जो कि इन प्रावधानों पर प्रभाव डालेंगे।

राजस्व जुटाना

127. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह कहा है कि हम लधु एवं मध्यम आय अर्जन करने वालों पर, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख तक है, उन पर कर का बोझ कम करने के लिए बहुत से उपाय पहले ही कर चुके हैं अतः उन्हें आयकर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन सभी आय करदाताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कर देकर राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी, आय का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से, जिनकी आय सबसे अधिक है, उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक और ₹5 करोड़ से अधिक है उन पर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ जिससे कि इन दो श्रेणियों के लिए प्रभावी कर दरें क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ जाएंगी।

अन्य उपाय

128. करदाताओं द्वारा सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए मैं, कर विधान को सरल बनाने का प्रस्ताव करती हूँ जिनमें विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन शुरू करने हेतु न्यूनतम कर में वृद्धि करना और आयकर अधिनियम की धारा 50सीए तथा धारा 56 के दुरूपयोगरोधी उपबंधों से उपयुक्त श्रेणी के व्यक्तियों को छूट देना शामिल है।

अप्रत्यक्ष कर

129. अब मैं अप्रत्यक्ष कर की ओर आती हूँ। हम जानते हैं कि जीएसटी को लागू करने के साथ-साथ परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। सभी अर्थों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार रहा है। केन्द्र और राज्यों का एक साथ देश की भलाई के लिए कराधान की अपनी सार्वभौमिक शक्ति का एक समान उपयोग करने के लिए राजी होना एक अभूतपूर्व कदम है। 17 करों और 13 उपकरों को मिलाकर एक कर बना है। अनेक दरें चार रह गई हैं। लगभग सभी वस्तुओं में दर कटौती देखी गई है। दसों विवरणियों की जगह एक ने ले ली है। करदाताओं का कर विभागों के साथ आमना-सामना (इंटरफेस) कम हो गया है। सीमा जांच समाप्त हो गई है। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध लाया और ले जाया जा सकता है जिससे समय और ऊर्जा की बचत हुई है। जितने समय में एक ट्रक एक ट्रिप करता था उतना ही समय में दो ट्रिप करने लगा है। इस तरह से **एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार** का सपना पूरा हो गया। इसके लिए सारा श्रेय जीएसटी परिषद को जाता है।

130. शुरुआती चरण में जीएसटी को कतिपय कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुधार के स्तर को देखते हुए यह स्वाभाविक था। फिर भी परिषद, केन्द्र और राज्यों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। जीएसटी की दरें भी उल्लेखनीय रूप से कम

हुई हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। जीएसटी के प्रदर्शन पर किसी निर्णय पर पहुंचते समय हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

131. हम जीएसटी प्रक्रियाओं को और भी सरल बना रहे हैं। एक सरलीकृत, एकल मासिक विवरणी लाई जा रही है। जिस करदाता का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है वह तिमाही विवरणी फाइल करेगा। छोटे कारोबारों के लिए विवरणी तैयार करने हेतु लेखाकरण साफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। पूरी तरह स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल का क्रियान्वयन किया जाएगा। करदाता के लिए अनेक कर लेजरों के स्थान पर एक कर लेजर होगा।

132. इलेक्ट्रानिक इनवॉइस सिस्टम लाने का भी प्रस्ताव है जिसमें जारी करते समय केन्द्रीय सिस्टम में इनवॉइस के ब्योरे का संग्रहण किया जाएगा। बाद में इसका उपयोग पहले से भरी हुई करदाता विवरणियों के लिए किया जाएगा। अलग से ई-वे-बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शुरूआत जनवरी, 2020 से हो जाएगी। इलेक्ट्रानिक इनवॉइस सिस्टम अनुपालना संबंधी भार को काफी हद तक कम करेगा।

133. सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने, 'मेक इन इंडिया' के जरिए उच्चतर घरेलू मूल्य वर्धन हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को संरक्षण देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी वस्तुओं का आयात कम करने तथा विपरिवर्तन सुधारने के उद्देश्य से प्रेरित हैं।

134. रक्षा का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की तत्काल आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस प्रयोजन के लिए भारत में विनिर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है।

135. 'मेक इन इंडिया' अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है। घरेलू उद्योग समस्तरीय क्षेत्र मुहैया कराने के लिए काजू, गरी, पीवीसी, विनाइल फ्लोरिंग, टाइल, फर्नीचर के लिए मेटल फिटिंग माऊंटिंग, आटो पार्ट्स, कतिपय प्रकार के सिंथेटिक रबर, मार्बल स्लैब्स, आप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटी कैमरा, आई पी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकार्डर आदि जैसी मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। अब भारत में विनिर्मित किए जाने वाली कतिपय इलेक्ट्रानिक मदों पर सीमा शुल्क छूट को भी वापिस लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पाम, स्टेरिन, वसायुक्त तेलों पर अंतिम प्रयोग आधारित छूट और विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूटें भी समाप्त की जा रही हैं। घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित पुस्तकों पर 5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।

136. घरेलू विनिर्माण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कतिपय कच्ची सामग्रियों और पूंजी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें सीआरजीओ सीट्स की कतिपय निविष्टि, अमोरफस रिबन, एथलीन डाइक्लोराइड, प्रोपलीन आक्साइड, कोबाल्ट मैट, नाफ्था, ऊन के धागे, कृत्रिम किडनी के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और डिस्पोजेबल स्टेरेलाइज्ड डायलिजर एवं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन शामिल हैं। ई-मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कतिपय कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। विशिष्टीकृत इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।

137. चमड़ा क्षेत्र को राहत देने के लिए कच्चे और अर्ध-तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्क को युक्ति संगत बनाया जा रहा है।

138. कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। इससे पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की समीक्षा करने की गुंजाइश बनती है। मैं, पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में प्रति लीटर 1 रुपया की दर से बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूँ। सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

139. तंबाकू उत्पादों और कच्चा तंबाकू पर राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्क लगाया जाता है। कतिपय मामलों में इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इन मदों पर कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सांकेतिक बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।

140. मैं, सीमा शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव करती हूं। हालिया रुझान दर्शाते हैं कि कुछ फर्जी निकाय अनुचित रियायतें और निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। जब हमने ऐसे घृणित क्रियाकलापों के विरूद्ध अपने गहन प्रयास किए हैं, ऐसे अपराधों के लिए दंड और अभियोजन बढ़ाने हेतु अधिनियम में उपबंध जोड़े जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्स और ड्रा बैक सुविधा के दुरुपयोग में ₹50 लाख से अधिक की राशि शामिल है, यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा।

141. हाल ही में जीएसटी के दो वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि जीएसटी से पूर्व की व्यवस्था से हमारे पास बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। सेवा कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मुकदमों में ₹3.75 लाख करोड़ से भी अधिक फंसा हुआ है। इस भार को कम करने और कारोबार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, विरासत विवाद समाधान स्कीम (लीगेसी डिस्प्युट रिसोल्युशन स्कीम) का प्रस्ताव करती हूँ जिससे ये मुकदमें जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं, व्यापारियों और व्यवसायियों से इस अवसर का लाभ उठाने और और मुकदमेबाजी से मुक्त होने का अनुरोध करती हूँ।

142. मेरे कर प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

143. अध्यक्ष महोदय, इन्ही शब्दों के साथ इस गरिमामय सदन को बजट प्रस्तुत करती हूं।

बजट भाषण भाग ख का अनुबंध

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

1. **कर के आधार का विस्तार और इसको गहन करना**

1.1 **कतिपय व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों पर लगने वाले कर में कटौती:** फिलहाल किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब द्वारा किसी निवासी ठेकेदार या व्यावसायिक को निजी उपयोग हेतु किए गए भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती करने की कोई देयता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब की उसके कारोबार या व्यवसाय की लेखा परीक्षा नहीं की जाती है, तो किसी निवासी को किए गए ऐसे भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे ऐसा भुगतान कारोबार या व्यवसाय के लिए ही किया गया हो। ऐसे भुगतानों का पता लगाने के उददेश्य से यदि वर्ष के दौरान किसी ठेकेदार या व्यावसायिक को किए गए कुल भुगतान की राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो तो ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 5 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर कटौती करने को बाध्यकारी बनाने हेतु एक नया उपबंध अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती करने वाला व्यक्ति स्रोत पर की गई कर की कटौती को केवल अपने पैन नम्बर के साथ ही जमा कर सकेगा। इसमें ऐसा भी प्रस्ताव है कि इसमें शून्य या टीडीएस की कम दर के लिए प्रमाणत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन किया जा सके।

1.2 **अचल परिसम्पत्ति पर टीडीएस का प्रतिफल:** यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनार्थ, अचल संपत्ति की खरीद से संबंधित प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, विद्युत और जल सुविधा शुल्क, रखरखाव शुल्क प्रकृति के अन्य प्रभार तथा इसी प्रकार का कोई अन्य प्रभार शामिल होगा जो अचल संपत्ति की खरीद के लिए आनुषंगिक है।

1.3 **अनिवासी को दिए जाने वाले उपहार:** फिलहाल किसी निवासी द्वारा किसी निवासी को दिए गए उपहार कतिपय छूटों के अध्यधीन आयकर के लिए उत्तरदायी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों द्वारा भारत से बाहर के किसी व्यक्ति को दिए गए ऐसे उपहार भी कर के अध्यधीन हों, यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के किसी व्यक्ति को 5 जुलाई, 2019 को या इसके पश्चात किसी धनराशि, या भारत में स्थित संपत्ति को उपहार (जब तक छूट प्रदान न की जाए उपहार न होने के कारण) को भारत में प्रोद्भूत माना जाएगा और इसलिए वह भारत में कर योग्य होगा।

1.4 **अनिवार्य रूप से विवरणी भरना :** ऐसे व्यक्तियों के लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्होंने किसी वर्ष में चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई हो, या जिन्होंने एक वर्ष में विदेशी यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए हों या विद्युत उपभोग पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किए हो। जिनके लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो। इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी आय विभिन्न धाराओं में से किसी के अधीन पूंजीगत लाभों के समग्र लाभ के दावे के कारण कर वसूल न किए जाने वाली अधिकतम राशि से कम होती हो, उसके लिए भी विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.5 **पैन और आधार की अदला-बदली :** पैन और आधार की परस्पर परिवर्तनीयता के उपबंध करने का प्रस्ताव है। जिस व्यक्ति के पास पैन नहीं है परन्तु आधार है वह अधिनियम के अध्यधीन पैन के स्थान पर आधार का उपयोग कर सकेगा। आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के बाद आधार पर वैसे व्यक्ति को पैन आवंटित करेगा। यह भी प्रस्ताव है कि जिस व्यक्ति ने पहले ही आधार को पैन से जोड़ दिया है, वह अपनी इच्छानुसार अधिनियम के अध्यधीन पैन की जगह आधार का उपयोग कर सकता है।

1.6 **पैन/आधार का उल्लेखः** अन्य अधिक मूल्य के संव्यवहारों का पता लगाने की दृष्टि से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड ऐसे संव्यवहारों को निर्धारित कर सकता है। पैन/आधार का उदाहरण देना अनिवार्य होगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पैन/आधार का सही उद्धरण सुनिश्चित करना होगा और पैन/आधार का उदाहरण देने वाले व्यक्ति कतिपय निर्धारित संव्यहारों के लिए अपने पैन/आधार का सत्यापन करना होगा। इन उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संगत दाण्डिक उपबंधों में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

1.7 **आधार को पैन से न जोड़े जाने के परिणामः** वर्तमान में, अधिनियम में पैन को अवैध करार देने की व्यवस्था है, यदि यह एक निश्चित समय तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे पैन के माध्यम से पहले किए गए संव्यवहारों की संरक्षा के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि व्यक्ति आधार संख्या की सूचना नहीं दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को आबंटित पैन को जोड़ने के लिए अधिसूचित अंतिम तारीख के बाद निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को अकार्यशील बनाया जाएगा।

1.8 **एसएफटी का दायरा बढ़ानाः** आय की विवरणी पहले ही भरने हेतु समर्थ बनाने के लिए जो व्यक्ति वर्तमान में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं उनको छोड़कर कतिपय निर्धारित व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाकर वित्तीय संव्यवहार विवरण प्रस्तुत करने का दायरा बढ़ाकर सूचना प्राप्त करने का प्रस्ताव है। कम राशि के संव्यवहारों का पूर्व फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रस्तुत करने हेतु पचास हजार रुपये की मौजूदा आरंभिक राशि को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत की गई सूचना की यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए संगत दण्डिक उपबंधों में उपयुक्त संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

2. कम नकदी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उपाय

2.1 अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों द्वारा भुगतानः अधिनियम में विभिन्न उपबंध हैं, जो नकदी संव्यवहारों को प्रतिषिद्ध करते हैं और केवल खाते में भुगतान हेतु चैकों, खाते में भुगतान हेतु ड्राफ्ट या बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से भुगतान या प्राप्ति अनुमत/प्रोत्साहित करते हैं। अन्य इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अन्य इलेक्ट्रोनिक विधि जिन्हें निर्धारित किया जाएगा, के माध्यम से भी भुगतान या प्राप्ति अनुमत करने के लिए इन उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

2.2 बैंकों से नकद निकासी पर टीडीएसः बैंक खाते से बड़ी राशि के नकदी आहरण को हतोत्साहित करने के लिए व्यव्ति द्वारा अपने बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के आहरण पर 2 प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करने का प्रस्ताव है। कुछ कारोबार मॉडल्स जहां बड़ी मात्रा में नकदी आहरण अनिवार्य होता है, को छूट दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचित करेगी जिन पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2.3 निम्न लागत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधाः यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायी उद्यम कम लागत वाली इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें, एक नई धारा शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि व्यावसायी उद्यम जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है वह कम लागत वाला निर्धारित इलेक्ट्रोनिक विधि से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में एक उपयुक्त दाण्डिक उपबंध भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

3. कर प्रोत्साहन

3.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र को (आईएफएससी): भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आईएफएससी से किए जाने वाले कारोबारों के संबंध में कुछ कर रियायतें पहले से ही दी गई हैं। ऐसी घटनाओं को और अधिक बढ़ावा देने और इन आईएफएससी को दूसरे देशों में आईएफएससी के समकक्ष बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों का प्रस्ताव हैः

(i) वर्तमान में, आईएफएससी में एक यूनिट को पहले लगातार पांच वर्षों के लिए लाभ की 100 प्रतिशत कटौती की अनुमति दी गई है, और शुरूआत के वर्ष से अगले लगातार पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत/10 लगातार वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव है, और इस बात के लिए भी उपबंध करना कि यूनिट अपनी इच्छानुसार आरंभन वर्ष से 15 वर्षों में से किसी लगातार 10 वर्षों हेतु उक्त कटौती का दावा कर सकता है।

(ii) आईएफएससी में स्थित यूनिट को ऋण में दिए गए धन के संबंध में अनिवासी द्वारा प्राप्त ब्याज के लिए कर में छूट देने का प्रस्ताव है।

(iii) अनिवासी को वर्तमान में आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण पर पूंजी प्राप्ति कर का भुगतान करने की आवश्यक्ता नहीं है। इस लाभ का विस्तार आईएफएससी में श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि के लिए करने का प्रस्ताव है, जिसमें से सभी यूनिट धारक अनिवासी हैं, जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगा।

(iv) अन्य प्रतिभूतियों को भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव है जो पूंजीगत लाभ छूट के लिए पात्र होंगी यदि उनका किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार किया जाता है।

(v) वर्तमान में, आईएफएससी में स्थित कंपनी द्वारा लाभांश के वितरण पर लाभांश वितरण कर अधिरोपित नहीं किया जाता है यदि इसका वितरण वर्तमान आय में से किया जाता है। छूट के इस लाभ को संचित लाभ, जिसे यूनिट द्वारा आईएफएससी प्रचालनों से 1 अप्रैल, 2017 के बाद संचित किया गया है, से वितरण हेतु प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(vi) आईएफएससी में म्यूचुअल फंडों की स्थापना सुसाध्य बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि किसी आईएफएससी में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए संव्यवहार से व्युत्पन्न अपनी आय में से विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को या इससे पहले किसी राशि के वितरण पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा।

(vii) धारा 115ए में उल्लिखित ब्याज, लाभांश आदि की प्रकृति की आय के संदर्भ में कर देयता की गणना के प्रयोजनार्थ किसी अनिवासी के लिए धारा 80ठक के अंतर्गत कटौती की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

3.2 कतिपय गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रोत्साहनः वर्तमान में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर ब्याज पर कर प्रोद्भवन आधार पर लगाया जाता है। तथापि, अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक निवेश निगमों, सहकारी बैंकों तथा आवासन वित्त कंपनियों जैसी कुछ सार्वजनिक कंपनियों के मामलों में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों पर ब्याज प्राप्ति आधार पर कर लगाया जाता है। सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जमाराशि ग्रहण करने वाली एनबीएफसी तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि ग्रहन न करने वाली एनबीएफसी के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर भी ब्याज प्राप्ति आधार पर लगाया जाए। प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि करदाता को वास्तविक भुगतान के आधार पर ऐसे ब्याज की कटौती की अनुमति प्रदान की जाए।

3.3 स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहनः पात्र स्टार्ट-अप के मामलों में हानियों को आगे ले जाए जाने और बढ़ाने की शर्त में छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि दो में से किसी एक शर्त अर्थात (51 प्रतिशत शेयर धारिता/वोट करने की शक्ति बरकरार रहने अथवा 100 प्रतिशत मौलिक शेयरधारकों को बरकरार रखने) पूरी किए जाने पर वे अपनी हानियों को आगे ले जा सकें। इसके अतिरिक्त, पात्र स्टार्ट-अप के इक्विटी शेयरों में शुद्ध

प्रतिफल का निवेश करने पर आवासीय घर संपत्ति की बिक्री से हुए पूंजी लाभ पर छूट दिए जाने की अनुमति के प्रावधान को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। इस तरह यह लाभ 31 मार्च, 2021 अथवा उससे पहले आवासीय घर संपत्ति की बिक्री हेतु उपलब्ध होगा। शेयर पूंजी में न्यूनतम पचास प्रतिशत की शेयरधारिता अथवा स्टार्ट-अप में वोटिंग के अधिकार की शर्त 25 प्रतिशत शिथिल करने का प्रस्ताव किया जाता है। नई आस्ति चाहे वह कम्प्यूटर हो अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हो, को अंतरित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी शर्त को मौजूदा पांच वर्ष से अब तीन वर्ष तक शिथिल किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

3.4 विपदग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिए प्रोत्साहनः वे कंपनियां जिनके निदेशक मंडल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा निलंबित कर दिया गया है और केन्द्रीय सरकार की संस्तुति पर एनसीएलटी द्वारा नए निदेशकों को नियुक्त किया गया है, के लिए समाधान निकाला जाना प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि हानियों को आगे ले जाने और बढ़ाने के लिए शेयरधारिता बरकरार रहने की शर्त ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ, आगे लाई गई हानियों तथा अनवशोषित मूल्यह्रास के कुल जोड़ को कटौती के रूप में अनुमत किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

3.5 **शेयरों के उचित बाजार मूल्य को मानने से छूटः** अनुमोदित स्कीमों जहां संव्यवहार से संबद्ध पक्षकारों का मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण न हो, के माध्यम से समाधान सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि वे संव्यवहार जिनके लिए शेयरों का उचित बाजार मूल्य मान लेने संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे धारा 50 सीए और धारा 56 (2) (X) के अंतर्गत पूंजी लाभ तथा मान्य उपहार के परिकलन के लिए उपबंध निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार दिए जाएं।

3.6 **रुपये मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) के संबंध में प्रोत्साहनः** चालू खाता घाटे को सीमित करने और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 17 सितम्बर, 2018 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें भारत के बाहर किसी कंपनी अथवा किसी कारोबारी न्यास द्वारा जारी आरडीबी से हुई ब्याज आय से अनिवासी भारतीय को छूट 14 सितम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान दी गई थी। इस कर प्रोत्साहन को आयकर अधिनियम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

3.6 **विदेशी निधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनः** वर्ष 2015 में सरकार ने भारत में अपतटीय निधियों के निधि प्रबंधकों की अवस्थिति को सुसाध्य बनाने हेतु विशिष्ट रियायत व्यवस्था का अधिनियमन किया था। यह व्यवस्था कुछ शर्तों के अध्यधीन थी। निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक तथा आधारभूत निधि के निर्माण की समय सीमा संबंधी दो शर्तों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि इस प्रकार की अपतटीय निधियों के संबंध में भारत में निधि प्रबंधन क्रियाकलाप अनुकूल बनाने को सुसाध्य बनाया जा सके।

3.7 **श्रेणी-II एआईएफ को प्रोत्साहनः** फिलहाल श्रेणी-I एआईएफ द्वारा किए गए निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (viiख) के प्रावधान से छूट प्राप्त है। श्रेणी-II एआईएफ को भी यह लाभ देना प्रस्तावित है।

3.8 **विद्युत वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहनः** व्यक्ति द्वारा विद्युत वाहन खरीदने को प्रोत्साहन देने हेतु विद्युत वाहन की खरीद के लिए, लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज हेतु 1,50,000 रुपये तक की राशि की कटौती के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है। ऋण 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किया जाना अपेक्षित है।

4. **स्थावर संपदा के लिए प्रोत्साहन**

4.1 **सस्ते मकानों के लिए ब्याज की कटौतीः** वहनीय मकान की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए 45 लाख रुपये के मूल्य के वहनीय मकान की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज हेतु 1,50,000 रुपये तक की राशि की कटौती के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है। यह पहले से ही उपलब्ध 2 लाख रुपये की विद्यमान ब्याज कटौती के अतिरिक्त होगा।

4.2 **जीएसटी के साथ सस्ते आवास की परिभाषा को समरूप बनाना :** जीएसटी अधिनियम के साथ आयकर अधिनियम में वहनीय आवास की परिभाषा को संरेखित करने के लिए, महानगरीय क्षेत्र में कारपेट एरिया की सीमा 30 वर्ग मीटर से 60 वर्ग मीटर तथा गैर-महानगरीय क्षेत्र में 60 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर तक बढ़ाना प्रस्तावित है। जीएसटी अधिनियम की परिभाषा के संबंध में मकान की लागत का 45 लाख रुपये की सीमा पर उपबंध करना प्रस्तावित है।

5. **राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अभिदाताओं को प्रोत्साहन**

एनपीएस को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से लिए गए निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित हैः-

(i) एनपीएस से अंतिम आहरण पर शेष की छूट सीमा को फिलहाल 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाना;

(ii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, नियोजक के अंशदान के लिए चालू 10 प्रतिशत वेतन से 14 प्रतिशत वेतन तक की कटौती की अनुमति देना; और

(iii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा टियर-2 एनपीएस खाते में अंशदान के लिए धारा 80ग के अंतर्गत कटौती की अनुमति देना।

6. **कर के दुरुपयोग को रोकना**

6.1 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों की वापसी खरीद के जरिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के वंचन की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि शेयर की वापसी खरीद के मामले में सूचीबद्ध कंपनियां 20 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी, जैसा कि फिलहाल असूचीबद्ध कंपनियों का मामला है।

6.2 यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यास अथवा संस्था उन स्थानीय कानूनों का अनुपालन

करती है जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतु सामग्री है, किसी अन्य कानून के ऐसे प्रावधान के उल्लंघन के लिए अधिनियम के अंतर्गत न्यास अथवा संस्था का पंजीकरण निरस्त करने के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है। जहां आदेश में यह व्यवस्था है कि जो उल्लंघन हुआ है वह विवादग्रस्त नहीं है अथवा अंतिम बन गया है। यह उपबंध करना भी प्रस्तावित है कि पंजीकरण के समय इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या ऐसा उल्लंघन पंजीकरण की मांग करने वाले किसी न्यास अथवा संस्था द्वारा किया गया है।

7. यौक्तिकीकरण के उपाय

7.1 ' विसंबद्ध' की परिभाषा को शिथिल करना प्रस्तावित है ताकि परिणामी कंपनी को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन में संपत्ति और देनदारियों के मूल्य को उस मूल्य पर रिकार्ड करने की अनुमति दी जा सके जो पुस्तिका मूल्य से पृथक है।

7.2 यह उपबंध करना भी प्रस्तावित है कि अनिवासी को किए गए भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती जहां नहीं होती है और ऐसे अनिवासी ने कर विवरणी दायर की है और ऐसी आय पर करों का भुगतान किया गया है और लेखापाल से लिया गया निर्धारित प्रमाणपत्र भेजा है तो कटौतीकर्ता को इस चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे मामलों में कटौतीकर्ता के हाथ में व्यय की अनुमति नहीं देने के संबंध में कोई तदनुरूपी अधिकार नहीं होगा।

7.3 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जब अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है और निर्धारिती द्वारा संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो निर्धारणकर्ता अधिकारी को केवल एपीए के अनुसार कुल आय में संशोधन करने की आवश्यवत्ता है।

7.4 यह प्रावधान करके गौण समायोजन (मूल्यांकन अंतरण के मामले में) के उपबंधों को सरल बनाने का प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान करने के बदले निर्धारिती के पास विनिर्दिष्ट राशि का कर एकबारगी भुगतान करने का विकल्प होगा।

7.5 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय आहरण नहीं किए जाने के बावजूद मास्टर फाइल प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता है और यह कि निर्धारण अधिकारी और आयुक्त (अपील) को निर्धारिती से मास्टर फाइल मांगने का अधिकार नहीं है।

7.6 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अल्पावधिक पूँजी लाभ कर की रियायती दर उस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई), जिसे दीर्घावधिक पूँजी लाभ कर पहले ही दिया गया हो, के विनिवेश के लिए स्थापित निधियों की निधि पर भी लागू होगा।

7.7 श्रेणी I और II एआईएफ के मामले में हानियों को उसी उसी प्रकार पास थ्रू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया जाता है जिस प्रकार वर्तमान में आय को पास थ्रू की अनुमति दी गई है।

7.8 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि स्वमूल्यांकन कर की राशि का परिकलन करने और निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की गणना करते समय, वेतन के बकायों या अग्रिम राशि के संबंध में भुगतान किए गए कर राहत पर विचार किया जाएगा।

7.9 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जीवन बीमा कम्पनियों की करदेय राशि पर वर्तमान में सकल राशि का 1% के बदले निवल राशि पर 5% कर लिया जाएगा।

7.10 यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत पहली बार विवरणी प्रस्तुत किया गया हो, जुर्माने के प्रयोजन से रिपोर्ट में दी गई आय का निर्धारण और गणना की जाएगी।

7.11 आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए अभियोजन उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि उक्त प्रावधान में आकनल वर्ष समाप्त होने से पहले भुगतान किए गए स्व-आकलित कर, और स्रोत पर कटौती किए गए कर का हवाला दिया जा सके और व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए देय कर की सीमा 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा सके।

7.12 करों के संग्रहण में सहायता करने से संबंधित संधी से संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो परन्तु वह व्यक्ति भारत का निवासी हो तो ऐसे मामलों में कर की वसूली की जाए। तदनुसार, भारत भी अन्य देशों से इसी प्रकार की सहायता का अनुरोध कर सवत्ता है।

7.13 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम के अध्याय XIX के अंतर्गत रिफंड के लिए किए गए प्रत्येक दावे को अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न देकर पूरा किया जाएगा।

7.14 यह प्रस्ताव किया जाता है कि उन शर्तों जिन्हें अधिनियम की धारा 56(2)(viiख) के उपबंधों के अंतर्गत करारोपण से छूट देते समय अधिसूचित किया गया हो, का उल्लंघन करने पर कर लगाने की विधि का प्रावधान किया जाए।

7.15 वित्त अधिनियम, 2018 के तहत धारा 145ए को प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 56(2)(viii) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

7.16 जब्त अचल संपत्ति की बिक्री की समय-सीमा से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 के दूसरी अनुसूची के नियम 68ख में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि सीमावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया जा सके। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को उपयुक्त मामलों में इस अवधि को और तीन वर्ष बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया जाए।

7.17 जालसाजी को रोकने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जब संशोधन विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस व्यक्ति को चुककर्ता निर्धारिती मानने के लिए अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

7.18 ऐसे आहरणों जिनसे कर की कटौती नहीं की गई हो, के मामले में ई-फाइल विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया जाता है और यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 194ए में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान की सीमा बढ़ायी जाए।

7.19 ऐसे वैकल्पिक रिपोर्टिंग निकाय के लिए जिसे एक देश से दूसरे देश तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, "लेखांकन वर्ष" की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

7.20 यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर का निर्धारण करने की मांग करने वाले किसी को भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का उपबंध किया जाए।

7.21 पद "निर्धारिती" को पुनः परिभाषित करने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारिती की पिछले वर्ष जिसमें आय अर्जित की गई या आस्ति प्राप्त की गई, आवासीय स्थिति उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर प्रभारित करने के लिए निर्णायक कारक होगी। पुनर्निधारण के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10 में स्पष्टकारी संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि आयुक्त (अपील) को जुर्माना बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और संयुक्त आयुक्त निर्धारण अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर सके।

7.22 वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 और 191 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि आयकर घोषणा योजना, 2016 के अंतर्गत ब्याज के साथ अप्रदत बकाए राशि का भुगतान किया जा सके और भुगतान की गई अधिक राशि को वापस किया जा सके।

7.23 यह प्रावधान करने के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि प्रतिभूतियों में किसी राय की बिक्री, जहां राय दी जाती है, के संबंध में करदेय प्रतिभूतियों का आहरण मूल्य निपटान मूल्य और यथार्थ मूल्य का अंतर होगा।

7.24 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) को उपलब्ध कर छूट को 31 मार्च, 2021 तक और दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

हाल की प्रत्यक्ष कर पहलें

1. **प्रत्यक्ष कर संग्रहणों और करदाताओं की संख्या में वृद्धि :** सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है।

1.1 वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपए होना प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 78 प्रतिशत से अधिक वृद्धि है। इसमें अब प्रति वर्ष दो अंकीय बढ़ोतरी हो रही है। 2013-14 से 2018-19 तक की अवधि में हुए वार्षिक प्रत्यक्ष कर संग्रहणों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रहण		
वित्त वर्ष	**कर संग्रहण (करोड़ रुपये में)**	**वृद्धि (%)**
2013-14	6,38,596	14.24%
2014-15	6,95,792	8.96%
2015-16	7,41,945	6.63%
2016-17	8,41,713	13.45%
2017-18	10,02,741	19.13%
2018-19 (अनंतिम)	11,37,686	13.46%

1.2 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और करदाता पहुँच कार्यक्रमों के कारण 2013-14 और 2017-18 की अवधि में करदाताओं की संख्या में भी लगभग 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, करदाताओं की संख्या 5.71 करोड़ से बढ़कर 8.44 करोड़ हो गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि में करदाताओं की संख्या का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि में करदाताओं की संख्या*		
वित्त वर्ष	**करदाताओं की संख्या**	**वृद्धि (%)**
2013-14	5,71,58,811	8.27%
2014-15	6,15,23,699	7.64%
2015-16	6,92,73,834	12.60%
2016-17	7,41,27,250	7.01%
2017-18	8,44,46,376	13.92%

*करदाता वह व्यक्ति है जिसने आयकर विवरण दाखिल किया है अथवा जिसके मामले में कर की कटौती की गई है किन्तु उस व्यक्ति ने आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

सरकार द्वारा की गई प्रमुख प्रत्यक्ष कर नीतिगत पहलों पर नीचे चर्चा की गई हैः

2. **कर दर कम करनाः** कर का बोझ कम करने तथा अनुपालन बढ़ाने के लिए सरकार कर की दरें कम करने में निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में, निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं।

(i) 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 100 प्रतिशत कर छूट दी गई है। इस प्रकार, 5 लाख रुपए तक कर योग्य आय वाले व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा।

(ii) कारपोरेट निर्धारितियों के लिए कर की दर को धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत तक लाया गया था और इस समय के बड़े कारपोरेट (250 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले) को ही 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 250 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार वाली नई विनिर्माण कंपनी पर भी 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

(iii) बुनियादी छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई।

(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई।

(v) 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के स्लैब के लिए कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

(vi) वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाताओं के लिए 40,000 रुपए की मानक कटौती की शुरूआत की गई थी जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है।

(vii) धनकर को समाप्त किया गया।

3. **मध्य वर्ग और वरिष्ठ नागरिक करदाताओं को लाभः** वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य नागरिकों की बचत बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैः

(i) धारा 80ग के अंतर्गत बचतों के लिए कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई।

(ii) चिकित्सा बीमा के लिए कटौती की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कटौती सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।

(iii) दिव्यांग व्यक्ति के लिए कटौती की सीमा में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशियों के ब्याज से होने वाली आय पर 50,000 रुपए की कटौती प्रदान की गई।

(v) वरिष्ठ नागरिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर चिकित्सीय व्यय के लिए कटौती सीमा को 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया।

4. **छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन सरल बनानाः** छोटे व्यवसाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए अनुपालन सरल बनाने के उद्देश्य से इस सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैंः

(i) व्यवसायों के प्रकल्पित कराधान की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया।

(ii) व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा बही-खाते रखने के लिए,

(क) आय की न्यूनतम सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया; और

(ख) कारोबार की न्यूनतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया।

(iii) 50 लाख रुपए तक की प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधार प्रारंभ किया गया।

5. **सस्ते मकान और रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करने के उपायः** मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हमेशा चिंता का विषय रहा है। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट अर्थ व्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवासीय क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, इस सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखत उपाय किए हैंः

(i) स्वयं के कब्जे वाले मकान की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।

(ii) सस्ती आवासीय परियोजनाओं की आय के लिए 100% कटौती प्रदान की गई।

(iii) दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों की गणना के लिए आधार वर्ष को 1981 से बदलकर 2001 कर दिया गया।

(iv) अचल संपत्ति पर दीर्घावधिक लाभ के लिए धारिता अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 पहीने कर दिया गया।

(v) अचल संपत्ति पर पूंजीगत लाभों की गणना के उद्देश्य से स्टांप शुल्क पर 5% की छूट ।

6. **विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपायः** विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में कर नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिशा में इस सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैः

(i) स्टार्ट-अप के लिए लाभ से जुड़ी कटौती शुरू की गई।

(ii) विकास के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र अवसंरचना सहित कतिपय नए क्षेत्रों समेत निवेश-संबद्ध कटौती के दायरे को बढ़ाया गया।

(iii) आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उपक्रमों के लिए निवेश करने की अनुमति और उच्चतर अतिरिक्त मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई।

(iv) रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन को व्यापक बनाया गया ओर प्रोतसाहन का दावा करने क लिए पात्रता की शर्तों में ढील दी गई।

(v) मैट देयता की गणना के लिए लाभ प्रदान किया गया और दिवालियापन व शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कंपनियों के लिए हानि की अगले लाभ से पूर्ति की व्यवस्था की गई।

(vi) औद्योगिक मानकों के अनुरूप सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) संबंधी उपबंधों को और अधिक उदारीकृत किया गया।

(vii) घरेलू अंतरण के मूल्यधारण संबंधी प्रावधानों के दायरे को लाभ संबद्ध कटौतियों वाले उद्यमों के बीच होने वाले संव्यवहारों तक ही सीमित किया गया।

(viii) श्रेणी-। और ।। की वैकल्पिक निवेश विधियों को पास थ्रू का स्टेटस प्रदान किया गया।

(ix) मैट क्रेडिट की अगले लाभ से पूर्ति करने के लिए समायावधि को 10 वर्ष बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया।

7. **काले धन को नियंत्रित करने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायः** काला धन हमारी अर्थव्यवस्था के प्राणाधार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार की यह दृढ़ धारणा है कि हमारे समाज में गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि काले धन के सृजन और इसके छिपाए जाने की गतिविधियों से बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से न निपटा जाए।

7.1 इस प्रलोभन से, काला धन (अप्रकट विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 को लाया गया ताकि छिपी हुई विदेशी आस्तियों की समस्या से निपटा जा सके। घरेलू कालेधन को लक्षित करने के लिए, बेनामी कानून को व्यापक रूप से संशोधित किया गया था ताकि बेनामी संपत्ति जब्त की जा सके और अभियोजन की व्यवस्था की जा सके, इस प्रकार बेनामी संपत्ति के रूप में, खासकर स्थावर संपदा में, कालेधन के सृजन और जमाखोरी का मुख्य अवसर बंद हो गया।

7.2 कालेधन के सृजन से निपटने के लिए एक सर्वाधिक प्रभावी रास्ता अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन के स्तर को कम करना है। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। जिनमें मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) अचल संपत्ति के लेनदेन के लिए 20000 रुपये अथवा इससे अधिक नकद भुगतान की स्वीकृति निषिद्ध कर दी गई थी।

(ii) कारोबार संबंधी लेनदेन के लिए नकद लेनदेन की सीमा घटा दी गई थी।

(iii) धर्मार्थ न्यासों की नकद दान करने की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दी गई थी।

(iv) राजनैतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले नकद दान की स्वीकृति के लिए 2,000 रुपये की न्यूनतम सीमा शुरू की गई थी।

(v) कारोबार के लिए प्रकल्पित व्यवस्था में गैर-नकदी के लेनेदेन के लिए लाभ दर 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत की गई थी।

(vi) 2 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का कोई नकद लेनदेन निषिद्ध कर दिया गया था।

वित्त मंत्री के भाषण का अनुबंध

अप्रत्यक्ष कर

1. सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावः

		अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/प्रशुल्क मद	पण्य	शुल्क की दर	
				से	तक
I.		घरेलू मूल्यवर्धन, "**मेक** इन इण्डिया" को प्रोत्साहन			
	क	लागत कम करने के लिए इनपुट और कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क में कटौती			
			रसायन		
	1	2710	नाफ्था	5%	4%
	2	2910 20 00	मेथिलॉक्जिरेन (प्रोपिलीन ऑक्साइड)	7.5%	5%
	3	2903 15 00	एथिलिन डाईक्लोराइड (ईडीसी)	2%	शून्य
	4	28, 70	सिलिका के पूर्वोत्पाद का निर्माण करने में उपयोग की गई कच्ची सामग्री **क**) सिलिकन टेट्रा क्लोराइड **ख**) जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड **ग**) रेफ्रिजरेटिड हेलियम लिक्विड **घ**) सिलिका रॉड्स **ङ**) सिलिका ट्यूब्स	लागू दर	शून्य
			वस्त्र		
	5	5101, 505	ऊनी धागे, ऊन के गुच्छे	5%	2.5%
			इस्पात एवं अन्य मूल धातुएं		
	6	7225, 7225 19 90	सीआरजीओ इस्पात बनाने के लिए सामग्री **क**) मैगनेशियम ऑक्साइउ की परत वाली ठंडा रोल्ड इस्पात की कॉयल **ख**) गर्म रोल्ड कॉयल **ग**) ठंडा रोल्ड मैगनेशियम ऑक्साइड की परत वाली और अनीलकारी इस्पात **घ**) गर्म रोल्ड अनीलकारी और पिकल्ड कॉयल **ङ**) ठंडा रोल्ड फूल हार्ड	5%	2.5%
	7	7226 99 30	अक्रिस्टलीय अयस्क रिबन	10%	5%

	8	8105 20 10	कोबाल्ट धातु और कोबाल्ट धातु के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद	5%	2.5%
			पूँजीगत वस्तुएं		
	9	82, 84, 85, और 90	निम्नलिखित इलेकट्रॉनिक मदें बनाने के लि उपयोग किए जाने वाले पूँजीगत पदार्थ, जैसे- (i) सघन पीसीबीए (ii) सेल्यूलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा मॉड्यूल (iii) सेलयूलर मोबाइल फोन का चार्जर/एडेप्टर (iv) लिथियम ऑयन सेल (v) डिस्प्ले मॉड्यूल (vi) सेट टॉप बॉक्स (vii) कम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल	लागू दर	शून्य
	ख	**घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बाजार मुहैया कराने के लिए सीमा शुल्क में बदलाव**			
			खाद्य प्रसंस्करण		
	10	0801 32 10	टूटे हुए काजू गिरी	60 रुपए प्रति किलोग्राम या 45%, जो भी अधिक हो	70%
	11	0801 20 30, 0801 32 90	काजू गिरी	75 रुपए प्रति किलोग्राम या 45%, जो भी अधिक हो	70%
			रसायन, प्लास्टिक और रबर		
	12	15, 2915 70, 3823 11 00, 3823 12 00, 3823	तेल रसायन और साबुन बनाने में उपयोग करने के लिए जैतून ऐसटिरिन और अन्य तेल जिनमें 20% या इससे अधिक वसायुक्त अम्ल हो, जैतून वासयुक्त अम्ल औ अन्य औद्योगिक मोनोकाबोक्सिलिक वसायुक्त अम्लीय तेल	शून्य	70%

		13 00, 3823 19 00			
	13	3804	पॉली विनाइल क्लोराइड	7.5%	10%
	14	3918	प्लास्टिक का फ्लोर कवर, प्लास्टिक के वॉल अथवा सीलिंग कवर	10%	15%
	15	3926 90 91, 3926 90 99	प्लास्टिक की वस्तुएं	10%	15%
	16	4002 31 00	बुटाइल रबर	5%	10%
	17	4002 39 00	क्लोरोबुटाइल रबर या ब्रोमोबुटाइल रबर	5%	10%
			कागज उद्योग		
	18	48	**क.** अखबारी कागज **ख.** समाचार पत्र की छपाई के लिए उपयोग किया जाने वाला बिना लेप किया हुआ कागज **ग.** पत्रिकाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला हल्का लेप किया हुआ कागज	शून्य	10%
	19	4901 1010, 4901 91 00, 4901 99 00	मुद्रित पुस्तकें (मुद्रित पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने सहित) और मुद्रित नियमावलियां, पारदर्शी कागजों सहित कागज या किसी अन्य पदार्थ पर छपे हुए बन्द या बाइन्डर के साथ खुले पत्र	शून्य	5%
			वस्त्र		
	20	5603 94 00	ऑप्टिकल फाइबर केबल का विनिर्माण करने के लिए पानी को रोकने वाले टेप	शून्य	20%
			सेरामिक उत्पाद		
	21	6905, 6907	सेरैमिक रूफिंग टाइलें और सेरैमिक फ्लैग्स और खड़ंजा, भट्ठियां या वॉल टाइलें आदि	10%	15%
			इस्पात और मूल धातु के उत्पाद		
	22	7218	स्टेनलेस इस्पात के उत्पाद	5%	7.5%
	23	7224	अन्य अयस्क इस्पात	5%	7.5%
	24	7229	अन्य अयस्क इस्पात के तार (इनवार के अलावा)	5%	7.5%
	25	8302	मूल धातु के फिटिंग्स, फ्रेम और समान वस्तुएं जो फर्निचर, दरवाजों, सिढियों, खिडिकियां, झिलमिली परदे, ऑटो माबाइल के लिए हिन्ज	10%	15%

			इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीन		
	26	8415 90 00	स्प्लिट सिस्टम एयर कंडिशनर के इन्डोर और आउटडोर यूनिट	10%	20%
	27	8474 20 10	सड़क निर्माण के लिए स्टोन क्रशिंग (शंक्वाकार) संयं 9 तोड़ने वाला	शून्य	7.5%
	28	8504 40	सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा और डीवीआर/एनवीआर का चार्जर/पॉवर एडेप्टर	शून्य	
	29	8518 21 00, 8518 22 00	लाउडस्पीकर	10%	15%
	30	8521 90 90	डिजिटल विडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और नेटवर्क विडियो रिकॉर्डर (एनवीआर)	15%	20%
	31	8525 80	सीसीटीवी कैमरा और आईपी कैमरा	15%	20%
	32	9001 10 00	ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बन्डल और केबल	10%	15%
			ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कलपुर्जे		
	33	6813	घर्षण सामग्री और उनकी वस्तुएं	10%	15%
	34	7009	रियर-व्यू मिरर सहित कॉंच के आइने, फ्रेम लगे हों अथवा नहीं	10%	15%
	35	8301 20 00	मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले एक किस्म के ताले	10%	15%
	36	8421 39 20 8421 39 90	कैटालिस्ट कन्वर्टर	5%	10%
	37	8421 23 00	आंतरिक दहन इंजनों के लिए तेल या पेट्रोल फिल्टर	7.5%	10%
	38	8421 31 00	आंतरिक दहन इंजनों के लिए इनटेक एयर फिल्टर	7.5%	10%
	39	8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20	साइकिलों या मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले प्रकाशयुक्त या व्यूजुअल सिगनल उपकरण	10%	15%
	40	8512 30 10	वाहन के लिए हॉर्न	10%	15%
	41	8512 20 90, 8512 30 90	साइकिलों और मोटर वाहनों के लिए अनय व्यूजुअल या साउण्ड सिगनल उपकरण	7.5%	15%
	42	8512 90 00	व्यूजुअल या साउण्ड सिगनल उपकरण के पूर्जे, साइकिलों एवं मोटर वाहनों में उपयोग	7.5%	10%

			किए जाने वाले विंडस्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रोस्टर और डेमिस्टर्स		
	43	8512 40 00, 8539 10 00, 8539 21 20, 8539 29 40	विंडस्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रोस्टर्स और डेमिसटर्स, सील्ड बीम लैम्प यूनिटें, ऑटोमाबाइल के लिए अन्य लैम्प	10%	15%
	44	8702, 8704	वाहनों के पूर्णता निर्मित यूनिट (सीबीयू)	25%	30%
	45	8706	शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के लिए इंजन लगे हुए चेसिस	10%	15%
	46	8707	शीर्षक 8701 से 8705 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों के लिए बॉडी (कैब सहित)	10%	15%
		ग	**बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी**		
	47	कोई भी अध्याय	केवल बिजली चालित वाहनों के लिए पुर्जे - क. ई-ड्राइव असेम्बली ख. ऑन बोर्ड चार्जर ग. ई कम्प्रेसर घ. चार्जिंग गन	प्रयोज्य दर	शून्य
		ध	**कुछ क्षेत्रों में शुल्क प्रतिलोम की समस्या को दूर करने के लिए उत्पाद शुल्क में परिवर्तन**	प्रयोज्य दर	शून्य
	48	2515 12 20, 6802 10 00, 6802 21 10 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00, 6802 92 00	मार्बल की पट्टियां	20%	40%
	49	कोई भी अध्याय	कृत्रिम किडनी, डिस्पोजेबल स्टेरिलाइज्ड डाइलाइजर और कृत्रिम किडनी के माइक्रो-बैरियर के निर्माण में उपयोग करने के लिए कच्ची सामग्री, पूर्जे या अतिरिक्त वस्तुएं	प्रयोज्य दर	शून्य

	II		**नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती**		
	50	2612 10 00	आण्विक ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी प्रकार के यूरेनियम अयस्क और गारा	2.5%	शून्य
	51	2844 20 00	न्यूक्लियर पॉवर उत्पन्न करने के लिए यू-235 या उसके यौगिक प्लैटिनम से परिपूर्ण यूरेनियम और उसके यौगिक, अयस्क, विसर्जक, सेरैमिक उत्पाद और मिश्रण, जिनमें यू-235 या प्लूटोनियम या उनके यौगिक से परिपूर्ण यूरैनियम निहित हो	7.5%	शून्य
	52	9801	प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स के अंतर्गत न्यूक्लियर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए अपेक्षित सभी सामानः- क) माही बांसवाड़ा ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 1 से 4 ख) कैगा ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट-5 एवं 6 ग) गोरखपुर ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 3 एवं 4 घ) चुटका ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट - 1 एवं 2	लागू दर	शून्य
	III		**शुल्क यौक्तिकीकरण/वापसी**		
	53	2709 20 00	कच्चा पेट्रोलियम	शून्य	1 रुपए प्रति टन
	54	84, 85 एवं 90	विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्वीच, सॉकेट, प्लग, कनेक्टर्स, रिले आदि	शून्य	लागू दर
	55	84, 85 एवं 90	विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मदों का विनिर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पूँजीगत माल, जैसे - (i) वैथ्योड किरण की ट्यूबें; (ii) सीडी/सीडी-आर/डीबीडी-आर (iii) डिफ्लेक्शन कंपोनेंट सीआरटी मानीटर/सीटीवी (iv) प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल	शून्य	लागू दर

IV.	**खेलकुद संबंधी सामानों के लिए निर्यात संवर्धन**			
56	39,44	फोम (ईवीए) और पाइन की लकड़ी को उन मदों की सूची में शामिल किया जा रहा है जिनके लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययीन पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात किए गए खेलकूद संबंधी सामानों के एफओबी मूल्य के 3% तक शुल्क मुक्त आयात अनुमत किया गया था।	लागू दर	शून्य
V रक्षा सेक्टर के लिए सीमा शुल्क में कटौती				
5	कोई भी अध्याय	सेना संबंधी विनिर्दिष्ट उपकरण तथा रक्षा मंत्रालय अथवा सशस्त्र सेनाओं द्वारा आयातित उनके कलपूर्जे	लागू दर	शून्य
VI अतिरिक्त राजस्व उपाय				
58	7106	चांदी (स्वर्ण अथवा प्लेटिनियम के साथ चांदी की परत चढ़ी हुई सहित) बिना गढ़ी या अर्धनिर्मित अवस्था या चूर्ण अवस्था में	10%	शून्य
59	7106	चांदी डोर बार. जिसमें चांदी 95% से अधिक न हो	8.5%	11%
60	7107 0000	आधारभूत चांदी मढ़ी हुई, अर्धनिर्मित से अधिक की अवस्था में नहीं	10%	12.50%
61	7108	स्वर्ण (प्लेटिनम के साथ स्वर्ण की परत चढ़ी सहित) बिना गढ़ी या अर्धनिर्मित अवस्था अथवा चूर्ण अवस्था में	10%	12.50%
62	7108	स्वर्ण डोर बार, जिसमें स्वर्ण 95% से अधिक न हो	9.35%	11.85
63	7109 0000	आधारभूत धातू या चांदी, स्वर्ण मढ़ी हुई, अर्धनिर्मित से अधिक अवस्था में नहीं	10%	12.50%
64	7110	प्लेटिनम, बिना गढ़ा अथवा अर्धनिर्मित अवस्था, अथवा चूर्ण अवस्था में (रोडियम को छोड़कर अन्य)	10%	12.50%
65	7111000	आधारभूत धातुएं, चांदी या स्वर्ण, प्लेटिनम मढ़ा हुआ, अर्धनिर्मित से अधिक की अवस्था में नहीं।	10%	12.50%
66	7112	कीमती धातुओं अथवा कीमती धातु की परत चढ़े धातु का अपशिष्ट और रद्दी; कीमती धातु के यौगिकों मुख्यतः कीमती धातुओं की बहाली के लिए होता है से सम्मिलित अन्य अपशिष्ट और रद्दी	10%	12.50%
67	71 या 98	पात्र यात्री द्वारा सामान के रूप में आयातित स्वर्ण और रजत	10%	12.50%
सड़क और अवसंरचना उपकर (सीमा शुल्क)				
68	2710	आमतौर पर पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट	₹ 8 रूपए प्रति लीटर	₹ 9 प्रति लीटर
2. निर्यात शुल्क की दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव :				

अध्याय शीर्षक उप शीर्षक टैरिफ मद		वस्तु	शुल्क की दर से (%)	तक (%)
निर्यात शुल्क में कटौती				
1	41	ईआई ताम्रकृत चमड़ा	15	शून्य
2	41	सभी प्रकार की खाल, चर्म तथा चमड़े ताम्रकृत और अताम्रकृत	60	40
3.	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन**			
क	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन**			
1.	धारा 9 में संशोधन ताकि शुल्क बराबरी के संबंध में किसी को फंसने से बचाने के उपायों के लिए उपधारा 1क शामिल की जा सके			
2.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 सी में संशोधन ताकि सीईएसटीएटी के साथ निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा उपाय शुल्क के निर्धारण के विरूद्ध अपील की अनुमति देने के लिए सुरक्षा उपाय शुल्कों के निर्धारण के विरूद्ध अपील उपबंधों को शामिल किया जा सके			
(ख)	सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन			
1.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित हेतु संशोधन किया गया (i) वर्तमान में "अन्य" के तौर पर वर्गीकृत विशिष्ट उत्पादों के लिए विशिष्ट टैरिफ व्यवस्था का सृजन; (ii) एचएसएन के साथ संरेखित करने के लिए त्रुटियों को हटाना।			
2.	अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणियों में संशोधन ताकि निजी उपयोग हेतु आयातित पुस्तकों को अध्याय 98 के दायरे में से हटाया जा सके। निजी उपयोग के लिए आयातित पुस्तकों पर अब लागू सीमा शुल्क तथा आईजीएसटी लगेगा।			
4.	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रमुख संशोधन**			
क्र. सं.	**संशोधन**			
(क)	**व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए**			
1.	केन्द्र सरकार द्वारा आधिसूचित व्यक्ति द्वारा प्रस्थान ब्रकटन को प्रस्तुति करने की अनुमति (धारा 41)।			
(ख)	**अनुपालन में सुधार लाने के लिए**			
2.	राजस्व की ब्याज राशि की सुरक्षा अथवा तस्करी को रोकने के लिए आधार सत्यापन अथवा कोई पहचान तथा व्यक्ति द्वारा अन्य अनुपालन के लिए उपबंध की शुरूआत (नई धारा 99ख)			
3.	उपयुक्त अधिकारी को, पूर्वानुमति प्राप्त करके, किसी ऐसे व्यक्ति को स्कैन या स्क्रीन करने में समर्थ बनाने का उपबंध जिसने अपने शरीर के भीतर ऐसी वस्तु को छुपाकर रखा है जो जब्त करने योग्य है तथा उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्कैनिंग की सूचना देने पर दंडाधिकारी को कार्रवाई करने में समर्थ बनाने हेतु उपबंध। (धारा 103)			
4.	किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अवेक्षणीय तथा गैर-जमानती आरोप तय करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को अधिकार देना ताकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके जिसनें भारत के बाहर अथवा भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र में अपराध किया हो (धारा 104)			
5.	(क) सरकार के राजस्व की सुरक्षा करने तथा तस्करी रोकने के लिए किसी भी बैंक खाते को अस्थायी तौर पर जब्त करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को अधिकार देना (धारा 110)। (ख) कुछ शर्तो को पूरा करने पर धारा 110 के तहत अस्थायी तौर पर जब्त बैंक खाते को निर्मुक्त करने की शक्ति प्रदान करना (110क)			
6.	किसी भी व्यक्ति पर शास्ति लगाने के लिए जिसने शुल्क का भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबुझकर गलत जानकारी दी हो अथवा तथ्यों को छुपाते हुए लिखत प्राप्त किया हो (नई धारा 114 कख)			
7.	अपराध को दंडयोग्य बनाने का उपबंध यदि ₹ 50 लाख से अधिक के शुल्क का भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबूझकर गलत जानकारी अथवा तथ्यों को छुपाकर लिखत प्राप्त किया हो (धारा 135)			

8.	निम्नलिखित के लिए अधिकतम शास्ति में वृद्धि करने हेतुः (क) अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के लिए ₹ 4 लाख; (ख) नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन के लिए ₹ 2 लाख (धारा 158)
ग	**मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए**
9.	धारा 28 के तहत बंद करने संबंधी मान्य कार्यवाहियों के अंतर्गत शामिल मामलों के संबंध में उपबंध करना; अतिक्रमित वस्तुओं को जब्त करने पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा (धारा 125)

5. उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव

	टैरिफ की मद	**वस्तु**	**शुल्क की दर से**	**तक**
1	2402 2010	60 मिलीमीटर तक लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट को छोड़कर	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
2.	2402 2020	65 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी लंबाई वाले से अनधिक फिल्टर सिगरेट	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
3.	2402 2030	60 मिमी तक लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिमी हो अथवा इसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक)	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
4.	2402 2040 2402 2050	60 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से अनधिक फिल्टर सिगरेट (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिमी हो अथवा इसकी वास्तविक) लंबाई, इनमें से जो भी अधिक)	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
5.	70 मिलीटर से ज्यादा परंतु 75 मिलीमीटर से कम लंबाई (जिसमें फिल्टर की लंबाई शामिल है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर अथवा इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक है) की फिल्टर सिगरेट		शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
6.	2402 20 90	अन्य सिगरेट	शून्य	₹ 10.00 प्रति हजार
7.	2402 90 10	तंबाकू का स्थानापन्न सिगरेट	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार
8.	2403 11 10	हुक्का अथवा गुडाकू तंबाकू	शून्य	0.5%
9.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण	शून्य	0.5%
10.	2403 19 21	मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित, पेपर को मोड़कर बनायी गयी बीड़ी के अलावा	शून्य	₹ 5.00 प्रति हजार पैसा
11.	2403 19 29	अन्य बीड़ी	शून्य	₹ 10.00 प्रति हजार पैसा
12.	2403 19 90	अन्य पीने वाला तम्बाकू	शून्य	0.5%
13.	2403 91 00	"एक जैसा" अथवा दोबारा तैयार किया	शून्य	0.5%

		गया तंबाकू		
14.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू	शून्य	0.5%
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू से बने पदार्थ	शून्य	0.5%
16.	2403 99 30	जर्दे की खुशबू वाला तंबाकू	शून्य	0.5%
17.	2403 99 40	सुंघनी	शून्य	0.5%
18.	2403 99 50	सुंघनी से बने पदार्थ	शून्य	0.5%
19.	2403 99 60	तंबाकू के अटक और आसव	शून्य	0.5%
20.	2403 99 90	अन्य (विनिर्मित तंबाकू और इसकी प्रतिस्थापित वस्तुएं)	शून्य	0.5%
21.	2709 20 00	कच्चा पेट्रोलियम	शून्य	1 रूपए प्रति टन
विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क				
22.	2710	मोटर स्पिरिट जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	7 रूपए प्रति टन	8 रूपए प्रति टन
23.	2710	हाई स्पीड डीजल आयल	1 रूपए प्रति टन	2 रूपए प्रति टन
सड़क और अवसंरचना उपकर				
24.	2710	मोटर स्पिरिट जिसे आम तौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, हाईस्पीड डीजल आयाल	7 रूपए प्रति टन	8 रूपए प्रति टन
टिप्पणी " बूनियादी उत्पाद शुल्क" का तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क है। "एनसीसीडी" का तात्पर्य वित्त अधिनियम 2001, की सातवीं अनुसूची में निर्धारित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क है।				

6.	**सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना**
क्र. स.	**प्रस्ताव का ब्यौरा**
1.	"सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना, 2019 कहलाने वाली विवाद समाधान एवं क्षमादान योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष और सेवाकर के विरासत संबंधी मामलों के समाधान और निपटान के लिए शुरू की जा रही है। प्रस्तावित योजना नामतः केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर और उपकरों के पिछले विवादों को कवर करती है जो जीएसटी में शामिल हो गये हैं। कुल उपवर्जनों के सिवाय जिसमें वे लोग शामिल हैं जो अधिनियम के अंतर्गत उस मामलें में आरोपी हैं। जिसके लिए वे घोषणा करना चाहते है और वे जिन्होंने निपटान आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया है, सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। योजना के अंतर्गत यह राहत स्वैच्छिक प्रकटन के मामलों के अलावा मामलों के लिए देय कर के 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न हैं। इस योजना में ब्याज के भुगतान और दंड से राहत की भी व्यवस्था है। स्वैच्छिक प्रकटनों के लिए, राहत प्रकटित पूर्ण कर देय के भुगतान पर ब्याज और दंड की माफी के बारे में ही योजना के अंतर्गत विमुक्त व्यक्ति भी दंड का अधिकारी नहीं होगा।
	योजना में कर देय और बकाया राशि के भुगतान की पद्धति और भुगतान आदि के ढंग के बारे में प्रतिबंधों आदि की व्यवस्था है। योजना अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उपलब्ध हो जाएगी। योजना के संबंध में प्रक्रियात्मक ब्यौरे और नियम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।
7.	**माल और सेवा कर उपबंधों में परिवर्तन वाले प्रस्तावः**
क्र. सं.	**केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 में संशोधन**
क.	**व्यापार की सुगमता अथवा उपभोक्ता के लिए**
1.	पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 50 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं अथवा मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं (जो किसी संघटन योजना के लिए पात्र नहीं हैं) के लिए संघटन योजना की

	व्यवस्था करना (धारा 10)
2.	माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम छूट सीमा को ₹ 20 लाख से ₹ 40 लाख से अधिक की राशि तक बढ़ाना (धारा 22)
3.	संघटन डीलर द्वारा वार्षिक आधार पर विवरणी भेजने तथा करों के तिमाही भुगतान की व्यवस्था करना (धारा 39)
4.	यह निर्धारित करना कि विनिर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं को अपने प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक भुगतान की विनिर्दिष्ट प्राप्तियों का विकल्प अनिवार्य रूप से देना होगा (नई धारा 31 क)
5.	प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए आयुक्त को प्राधिकृत करना (i) वार्षिक विवरणी तथा समायोजन विवरण (धारा 44) (ii) ई-कामर्स आपरेटर द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण भेजने के लिए देय तिथि बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त बनाना (धारा 52)
6.	इलैक्ट्रानिक कैश लेजर में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में राशि के अंतरण हेतु पंजीकृत व्यक्ति को सुविधा प्रदान करना। (धारा 49)
7.	निवल नकद कर देनदारी पर ब्याज लेने हेतु व्यवस्था करना (धारा 50)
8.	करदाताओं को राज्यकरों की वापसी राशि, संवितरित करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाना। (धारा 54)
9.	राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण की संरचना, अर्हता, नियुक्त, कार्यकाल और सेवा शर्तों तथा अपील दायर करने की पद्धतियों तथा आदेशों के परिशोधन की व्यवस्था करना। नागरिक न्यायालयों के समकक्ष राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण को सशक्त बनाना । (धारा 95, 101क, 101ख, 101ग, 102, 103,104,105,106)
ख.	**अनुपालन सुधार हेतु**
10.	विद्यमान नए करदाताओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणन निर्धारित करना (धारा 25)
ग.	**विविध**
11.	मुनाफे द्वारा कमाई गई 10% राशि के समतुल्य दंड आरोपित करने हेतु राष्ट्रीय मुनाफाखोरी - विरोधी प्राधिकरण को सशक्त बनाना (धारा 171)

जीएसटी कानून में प्रस्तावित परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होंगे जो उन संवंर्धित एसजीएसटी अधिनियमों के बाद अधिसूचित की जाएगी जिन्हें राज्यों द्वारा संशोधित किया गया है।

बजट भाषण का अनुबंध
जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी दरों में भारी कटौतियां
(1जुलाई, 2017 से 30 जून 2019 तक)

01.07.2017 से लेकर अब तक जीएसटी की दरों में निम्नानुसार कटौती की गई हैः

I 28% से 18% तक

(क) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे तार, केबल, इलैक्ट्रिकल बोर्ड, पैनल,कन्सोल्स, कैबिनेट,पार्टिकल/फाइबर बोर्ड और प्लाईवुड आदि मार्बल और ग्रेनाइट के स्लैब, सभी प्रकार की सीरैमिक टाइलें, पेंट और वार्निश आदि।

(ख) फर्नीचर और घरेलू साज-सज्जा में प्रयुक्त अन्य वस्तुएं जैसे गद्दा, बिस्तर और इसी तरह का सामान

(ग) साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, टुथपेस्ट,परफ्यूम और प्रसाधन -सामग्री

(घ) डेटरजेंट और अन्य जैविक सर्फेक्टैंट

(ङ) बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, पंप,लैम्प और लाइट फिटिंग

(च) बक्सा (ट्रंक), सूटकेस, वैनिटी केस, ब्रीफ केस, यात्री बैग और अन्य छोटे बैग (हैंडबैग), केस

(छ) सैनेटरी वेयर का सामान, फ्लोर कवरिंग बाथ, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट, प्लास्टिक के सैनीटरी वेयर

(ज) प्लास्टिक का सामान जैसे बर्तन, कंटेनर, घर में प्रयुक्त विविध वस्तुएं

(झ) रसोई में प्रयुक्त सामान जैसे वैक्यूम फ्लास्क, लाइटर, कटलरी, चूल्हा, कूकर, लाइटर

(ञ) सभी तरह का कांच और इससे बनी वस्तुएं जैसे दर्पण, ग्लासवेयर, पॉट, जार आदि

(ट) शारीरिक व्यायाम वाले उपकरण, त्यौहार और कार्नीवल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, स्विंग (झूले), शूटिंग गैलरी, राऊंड अबाऊट, जिम्नास्टिक और एथलैटिक उपकरण

(ठ) खाद्य वस्तुएं जैसे चॉकलेट, माल्ट एक्सट्रैक्ट जैसे दुग्धपेय पदार्थ, चॉकलेट कॉटेड वैफैल्स और वैफर्स, कस्टर्ड पाउडर

(ड) उपभोग के विद्युतीय उपकरण जैसे रेफ्रिजीरेटर, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जूसर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर, इलैक्ट्रिक स्मूदिंग आयरन और 32 इंची टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनीटर आदि, प्राइमरी सेल, लीथियम आयल बैटरी, डिजीटल कैमरे, वीडियो गेम आदि

(ढ) कार्यालय में प्रयुक्त मशीनें प्रिंटर, फैक्स मशीन, फोटोकोपियर आदि

(ण) एटीएम मशीनें

(त) कलाई घडियों और अन्य घडियां

(थ) संगीत के उपकरण

(द) इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक तुला मशीन

(ध) निर्माण-कार्य संबंधी उपस्कर जैसे फॉर्क लिफ्ट, बुलडोजर,एक्सकवेटर, रोड़ रोलर, अर्थ मूवर आदि

(न) कार्यालय स्टेशनरी जैसे लूज़-लीफ बाइंडर या फाइलों के लिए फिटिंग्स, लैटर क्लिप आदि

(प) अधिकतम 15 एचपी की पावर वाले स्पीड डीज़ल इंजिनों में अनन्य या प्रमुख रूप से लगाने के लिये उपयुक्त कलपूर्जे; ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक; गियर बक्से; पुली; रबर के रीट्रीटिड या प्रयुक्त-न्यूमेटिक टायर

(फ) फैक्टरियों, भंडागारों, डॉक एरिया या विमान पत्तनों में सामान को थोड़ी दूरी पर लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, ट्रैलर और सेमी-ट्रेलर,क्रेन, लॉरी, आग बुझाने के वाहन, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, स्प्रे करने वाली लॉरी

(ब) अन्य विविध मदें जैसे रेन कोट, रबर और चमड़े की विशिष्ट मदें, इलैक्ट्रॉनिक तुला मशीन

II 28% से 12% तक

(क) विशिष्ट टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू मदें

(ख) लकड़ी और पत्थर की विशिष्ट मदें

(ग) गीले सामान की चक्की (वेट ग्राइंडर)

(घ) टैंक और अन्य बख्तरबंद सामरिक वाहन

III 28% से 5% तक

(क) विमान के इंजन

(ख) विमान के टायर

(ग) विमान की सीटें

(घ) विकलांग व्यक्तियों की गाड़ियों (कैरिज़) के पुर्जे और सहायक सामग्री

(ङ) सख्त रबड़ का अपशिष्ट या कबाड़

IV 18% से 12% तक

(क) कृषि, बागवानी, वानिकी,फसल कटाई या थ्रेशिंग संबंधी विशिष्ट मशीनरी के विशिष्ट कलपुर्जे

(ख) सिलाई मशीनों के विशिष्ट पुर्जे

(ग) बांस से बना फर्नीचर

(घ) चश्मों के फ्रेम

(ङ) जूट और कपास के हैंड बैग

(च) कॉर्क की कलाकृतियां, पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाऊ कार्य, सजावटी फ्रेम

वाले दर्पण, कांच की मूर्तियां, लोहे, पीतल,तांबे की कलाकृतियां, हाथ से बने लैंप आदि हस्तशिल्प का सामान

(छ) सीलबंद पेयजल की 20 लीटर की बोतलें

(ज) कन्फेक्शनरी

(झ) संघनित दूध

(ञ) पास्ता, मयोनेज़, करी पेस्ट

(ट) पीतल का केरोसिन प्रेशर स्टॉव

(ठ) टपका सिंचाई या फुहारों के लिए नोज़ल

(ड) लेटरल, फुहारों सहित टपका सिंचाई प्रणाली

(ढ़) मेकनिकल स्प्रेयर

(ण) टोपी, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, कृत्रिम फिलामेंट यार्न, मानव निर्मित स्टेपल (कच्चे) वस्त्रों की सिलाई का धागा

(प) बायो-डीज़ल

(फ) विशिष्ट जैव-कीटनाशक

(ब) पाऊच और पर्स सहित हैंडबैग; आभूषण बक्सा

V 18% से 5% तक

(क) चिक्की, चटनी पाऊडर जैसी खाद्य वस्तुएं

(ख) फ्लाईएश, 90% या इससे अधिक फ्लाई एश वाला मिश्रण

(ग) इमली की गरी का चूर्ण

(घ) शुंक रूप में मेंहदी पेस्ट

(ङ) ठोस जैव ईंधन की गोलियां (पैलेट)

(च) प्लास्टिक अपशिष्ट

(छ) रबड़ अपशिष्ट

(ज) टूटा-फूटा काँच या काँच का अन्य अपशिष्ट या कचरा

(झ) बायोमास ब्रिकेट

(ञ) फर्टिलाइज़र ग्रेड फोस्फोरिक एसिड

VI 12% से 5% तक

(क) अखरोट, सूखी इमली, भुना चना, सुखे आम की फांक, खाकरा और प्लेन रोटी/ चपाती,इडली, डोसा बैटर, नमकीन (ब्रांडयुक्त से इतर)

(ख) धूप बत्ती, धूप, संभ्रानी और इसी तरह की अन्य मदें

(ग) मोटे सूती कपड़े (कॉडुरॉई) के वस्त्र, साड़ी फाल, हाथ से बनी लेस, हाथ से बुनी टेप्स्ट्री, हाथ से बनी चोटी और इसमें सजावटी कांट-छांट

(घ) आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी की दवाएं (ब्रांडयुक्त से इतर)

(ङ) सूखा नारियल

(च) हाथ से बनी चटाइयां, हथकरघा दरी जैसी हस्तशिल्प वस्तुएं

(छ) कागज का अपशिष्ट या रद्दी

(ज) कपड़े की वस्तुएं जैसे रियल जरी, मछली पकड़ने का जाल, मखमली वस्त्र, शनील वस्त्र तथा सूत का नीवार,नारियल कॉर्डेज और रस्सियों सहित महीन बुनाई वाले फैब्रिक

(झ) फ्लाई एश की ईंट, फ्लाई एश के ब्लॉक

VII 3% से 0.25% तक

(क) बिना तराशे खुरदरे हीरों समेत खुरदरे औद्योगिक हीरे

(ख) हीरे और कीमती पत्थर

VIII छूटें और अन्य विविध परिवर्तन

(क) खादी वस्त्र जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दुकानों के माध्यम से बेचे गए हों

(ख) क्ले, पत्थर/संगमरमर/लकड़ी से बनी देवी-देवताओं की मूर्तियां, विभूति

(ग) झाडू और ब्रश जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी, एक साथ गुथी हुई मूठ सहित या रहित हों।

(घ) खांडसारी शर्करा

(ङ) लाख/चमड़े (शीलैक) की चूड़ियां, राखी, खाली दोना जैसे हस्तशिल्प का सामान

(च) अंबर चरखा सहित यार्न (रेशे) को हाथ से कातने के लिए चरखा

(छ) शुल्क क्रेडिट पर्चियां

(ज) श्रवण-सहायक सामग्री (हीयरिंग एड्स) के विनिर्माण के लिए प्रमुख पुर्जे और सहायक सामग्री

(झ) तेल मुक्त राइस ब्रान

(ञ) सैनीटरी नैपकिन

(ट) कॉयर पिथ (मज्जा) कम्पोस्ट

(ठ) हाथ से बने संगीत-यंत्र

(ड) 1 अगस्त, 2018 से फैब्रिक स्तर पर संचयित निविष्टि कर क्रेडिट की अदायगी

सेवाएं

I 28% से 18% तक

(क) मनोरंजन संबंधी आयोजनों/एम्यूजमेंट पार्कों आदि में प्रवेश के द्वारा प्रद्दत सेवाएं

(ख) 100 रुपए से अधिक मूल्य की सिनेमा टिकटें

II 18% से 12% तक

(क) नहरों, बांधों, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिए सरकार, सरकारी निकायों आदि को दी गई निर्माण-कार्य संविदा की सेवाएं

(ख) छाता और विशिष्ट मुद्रित सामान के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई सेवाएं

(ग) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम क्रूड, पैट्रोल, हाइस्पीड डीज़ल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल का परिवहन, जहां निर्विष्ट कर क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया है।

(घ) सामान के परिवहन के संबंध में माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) द्वारा दी गई सेवाएं, जहां निविष्टि कर क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया है।

(ङ) पैट्रोलियम क्रूड या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग (निकालने) संबंधी सेवा

(च) सामान्य एफलूएंट ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा एफलूएंटों के उपचार के माध्यम से दी गई सेवाएं

(छ) भारत के अंदर सामान का विभिन्न तरीकों से किया गया परिवहन

(ज) 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटें

(झ) सामान ढोने वाले वाहनों का तीसरे पक्ष का बीमा प्रीमियम

(ञ) प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमों के तहत मकानों के निर्माण से जुड़ी निर्माण-कार्य संविदागत सेवाएं

III 18% से 5% तक* (निविष्टि कर क्रेडिट के बिना 5%)-

(क) सरकार, सरकारी निकायों को दी गई निर्माण-कार्य संविदागत सेवाएं जहां इस निर्माण-कार्य संविदा में प्रमुख रूप से मिट्टी का कार्य शामिल हो।

(ख) कपड़ो, रत्न और जवारात, चमड़े की वस्तुओं, खाद्य और खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प की वस्तुओं आदि से जुड़े कार्य के माध्यम की सेवाएं

(ग) ई-पुस्तकों की आपूर्ति

(घ) किसी ऐसे रेस्त्रां द्वारा दी गई सेवाओं की आपूर्ति जो किसी ऐसे होटल के परिसर में अवस्थित नहीं है जिसमें ₹7500/- और इससे ऊपर के घोषित प्रशुल्क वाली आवासीय इकाई है।*

(ङ) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पैट्रोलिएम, क्रूड, पैट्रोल, हाइस्पीड डीज़ल या एविएशन ईंधन का परिवहन*

(च) भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत कराए जाने वाले धार्मिक तीर्थाटन के लिए गैर-अनुसूचित/चार्टर प्रचालनों द्वारा तीर्थ यात्रियों की हवाई यात्रा*

IV भू संपदा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

(क) सस्ते आवासीय मकानों का निर्माण (अर्थात महानगरों में 60 वर्गमीटर और गैर-महानगरों में 90 वर्ग मीटर तक के कार्पेट क्षेत्रफल वाले मकान तथा जिनकी कीमत ₹45 लाख तक की है)-निर्विष्ट कर क्रेडिट के बिना 1%

(ख) सस्ते आवासीय मकानों से इतर आवासीय मकानों का निर्माण-निर्विषट कर क्रेडिट के बिना 5%

V छूट

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों, केरोसिन, चीनी, खाद्य तेल, आदि की बिक्री के माध्यम से सरकार को उचित दाम की दुकानों द्वारा प्रदान की गई सेवा

(ख) छात्रों, फेकल्टी और स्टाफ को लाने-ले जाने के लिए स्कूल को प्रदान की गई परिवहन सेवा और इस तरह की सेवा की आपूर्ति के लिए मोटरवाहन को किराये पर देने की सेवा

(ग) प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई सेवा

(घ) ऑन लाइन शैक्षणिक पत्रिकाओं या जर्नलों की आपूर्ति के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदत्त सेवाएं और दाखिले/परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाएं

(ङ) कोस्ट गार्ड (तट रक्षा) के कार्मिक को दी गई नाविक सामूहिक बीमा निधि की जीवन बीमा सेवा

(च) जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद जिसका अधिकतम कवर दो लाख रुपए का है, के अंतर्गत प्रदत्त जीवन बीमा व्यवसाय

(छ) भारत से बाहर रह रहे ग्राहक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित वित्तीय सेवाओं की मध्यस्थ संस्थाएं

(ज) कृषि उत्पादों के भांडागार में धुम्रीकरण (फ्यूमिगेशन) की सेवाएं

(झ) वन के छोटे उत्पादों के भांडारगारण की सेवाएं

(ञ) जहां आवासीय कल्याण संघों द्वारा अपने सदस्यों को दी गई सेवाएं जहां अंशदान प्रति सदस्य प्रति माह ₹7500 तक का हो।

(ट) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत पंजीकृत किसी निकाय द्वारा संचालित किसी वृद्धाश्रम द्वारा दी गई सेवाएं।

(ठ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रुप में प्रतिफल के लिए दी गई सेवाएं।

(ड) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पुनर्वास संबंधी पेशेवरों द्वारा दी गई पुनर्वास/उपचार (थैरेपी)/परामर्श से जुड़ी सेवाएं

(ढ़) प्रति व्यक्ति ₹500 तक के प्रवेश-शुल्क वाले सर्कस, नृत्य (डान्स), थिएटर आदि में प्रवेश